आमुख

एक मानवतावादी और राजनयिक के रूप में प्रख्यात, श्री इन्द्र कुमार गुजराल का जन्म स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में 4 दिसम्बर, 1919 को झेलम (अविभाजित पंजाब) में हुआ था। अपने बाल्यकाल से ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और वर्ष 1931 में 11 वर्ष की अल्प आयु में ही पुलिस कार्रवाई का सामना किया था। उन्होंने झेलम शहर में बच्चों के एक आंदोलन का आयोजन किया था। वर्ष 1942 में, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था।

वे एक दूरदर्शी नेता और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे और अनेक वर्षों के दौरान कई सरकारों में अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था। एक छात्र के रूप में वे राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित रहे थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए थे। वे वर्ष 1964 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और राज्य सभा के सदस्य बने थे। वे श्रीमती इंदिरा गांधी के विश्वस्त व्यक्ति थे और वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 1976 में उन्हें पूर्ववर्ती सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था और उन्होंने श्री मोरारजी देसाई और श्री चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भी इसी पद पर कार्य किया था। श्री गुजराल ने 1980 के दशक के मध्य में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और जनता दल में शामिल हो गए थे। वर्ष 1989 में, श्री गुजराल लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और वर्ष 1989–1990 के दौरान श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1989 में, श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने इराकी हमले के कारण उत्पन्न हुए कुवैत संकट, जिसके कारण हजारों भारतीय विस्थापित हो गए थे, का सामना किया था। वर्ष 1996 में, वे कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित श्री देवेगौड़ा की नेतृत्व वाली सरकार में फिर से विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और इसी अवधि के दौरान गुजराल सिद्धांत को विकसित किया था। उनका व्यक्तित्व गर्मजोशी से भरा था और सभी के साथ उनके संबंध सौहार्द्रपूर्ण और मित्रवत् थे। अपने शिष्ट व्यवहार और राजनीतिक सूझ–बूझ के कारण वे वर्ष 1997 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 11 महीनों का था जिसमें उन्होंने 3 महीनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास किए थे जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जारी रहे थे।

इन प्रयासों में पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया था। ये सिद्धांत निम्नवत् हैं:–

- बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत परस्पर आदान–प्रदान की भावना के साथ नहीं अपितु सद्भावना और आपसी विश्वास के साथ सहायता प्रदान करेगा और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा।

- कोई भी दक्षिण एशियाई देश क्षेत्र के किसी अन्य देश के हितों के विरुद्ध अपने राज्यक्षेत्र का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत नहीं देगा।
- इस क्षेत्र का कोई भी देश अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- सभी दक्षिण एशियाई देशों द्वारा क्षेत्र के अन्य देशों की राज्यक्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा।
- इस क्षेत्र के सभी देश अपने सभी विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से करेंगे।

श्री गुजराल को उर्दू भाषा में महारत प्राप्त थी और उन्हें शेरो–शायरी बहुत पसंद थी। उन्होंने मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद को सुशोभित किया था। जब भी कोई संसद में दिए गए उनके भाषणों को पढ़ता है तो उसे उनके इन गुणों का परिचय मिल जाता है। सार्वजनिक जीवन में उनका कद लगातार बढ़ता गया था जिसकी शुरुआत नई दिल्ली नगर निगम समिति के उपाध्यक्ष के रूप में वर्ष 1958 से हुई थी और फिर केन्द्रीय मंत्री और पूर्ववर्ती सोवियत संघ में भारत के राजदूत बनने से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक यह सिलसिला जारी रहा। श्री गुजराल क्लब डी मैडरिड के भी सदस्य थे। श्री इंद्र कुमार गुजराल का विवाह सुश्री शीला गुजराल के साथ हुआ था और उनके दो पुत्रों का नाम श्री नरेश गुजराल और श्री विशाल है। श्री नरेश गुजराल राज्य सभा के सदस्य भी बने थे।

उनके द्वारा रचित पुस्तक, 'दि फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया' में भारत के प्रति उनकी आकांक्षाओं और भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंधों का निर्माण करे, इस बारे में उनके विचारों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

श्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन 92वें वर्ष की आयु में वर्ष 2012 में हुआ था।

महासचिव

लोक सभा

विषय-सूची

क्र. सं.	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
		आमुख	(i)
1.	22 अप्रैल, 1997	मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव	1
2.	16 मई, 1997	माले में हुए नौवें दक्षेस शिखर सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	16
3.	24 जुलाई, 1997	बिहार में राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बारे में स्थगन प्रस्ताव	20
4.	25 जुलाई, 1997	नागालैंड शान्ति वार्ता के बारे में वक्तव्य	29
5.	28 जुलाई, 1997	जम्मू और कश्मीर में दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण ...	31
6.	6 अगस्त, 1997	बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक	43
7.	8 अगस्त, 1997	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने पर नियम 193 के अधीन हुई चर्चा	49
8.	1 सितम्बर, 1997	देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	52

मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव

22 अप्रैल, 1997

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:-

'कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।'

जब मैं सदन के सामने यह बात रख रहा हूं तो मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि ऐसे मौके पर जब आज सरकार शुरू हो रही है, उस वक्त मैं आने वाले दिनों की कुछ बातें करूं तो शायद अच्छा भी लगता है और शायद वह काबिले सराही भी हो। लेकिन दरअसल हिन्दुस्तान में हम जब भी पॉलिसियों और आने वाले दिनों की बात करते हैं तो हमारा पीछे मुड़कर देखना जरूरी भी हो जाता है और आसान भी और खासकर इस पचासवें साल में जब हिन्दुस्तान आजादी का पचासवां साल मना रहा है, न जाने सदन में मेरे जैसे कितने लोग बैठे हैं, चन्द्रशेखर जी सामने नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसे भाई होंगे, जिन्होंने हिन्दुस्तान में आजादी के आने की जंग में हिस्सा लिया था। वह एक अजीब समां था।

कल ही मैं गांधी स्मृति में गया था, जब गांधी जी के कुछ कागज बोम्मई जी ने वहां से लाने का इन्तजाम किया था, जो पेपर्स आज देश को दिए गए हैं। गांधी जी की बात करते-करते मुझे अपनी जिंदगी के कुछ बाब नजर आने शुरू हुए। मैंने उस वक्त बात की थी और शायद दोहरा भी दूं कि पहली दफा मैंने गांधी जी के दर्शन 11 साल की उम्र में किए थे। लाहौर में कांग्रेस का सैशन हो रहा था, गांधी जी वहां पर आए थे और बतौर बच्चे के मैंने उनकी बात सुनी थी, उस वक्त यह कहते हुए कि हिन्दुस्तान को आजादी अब मिलके रहेगी। वह एक ऐसा मौका था, जिसने मेरी सोच पर एक मोहर लगाई थी। मैंने गांधी जी के मुताल्लिक कल एक और बात कही थी। गांधी जी ने जब डांडी मार्च शुरू होने की बात की, तो मेरे अपने खानदान में मेरे माता-पिता दो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। जिस दिन सत्याग्रह शुरू होना था, मेरे पिताजी से उससे पहली शाम कुछ दोस्त मिलने आए थे, मेरे पिता वकील थे, और वे सब मेरे पिता के अच्छे मित्र थे। एक बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती है। उनके एक मित्र ने उनसे कहा था कि आप क्या सोचते हैं, "आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं, वह बूढ़ा तो पागल हो गया है, उसका ख्याल है कि मुट्ठी भर नमक बनाने से यह बड़ी सरकार चली जाएगी"। वे बातें मेरे कानों में आती हैं, उस मुट्ठी भर नमक ने हिन्दुस्तान की तारीख को बदल दिया था, क्योंकि उस **मुट्ठी भर नमक ने सिर्फ नमक नहीं बनाया था, उसने हमारी परम्पराओं को ऊपर एक नया मोड़ दिया था।** उसने हम लोगों से देश वालों से एक वायदा लिया था कि वे लोग उस धर्म पर कायम रहेंगे, जिस धर्म का नाम गांधी जी ने सत्याग्रह रखा था, उस धर्म पर वे कायम रहेंगे जिस धर्म का नाम गांधी जी ने नॉन-वायलेंस रखा था, उस धर्म के ऊपर कायम रहेंगे, जो मित्रता की बात थी।

कुछ अखबारों ने मेरे मुताल्लिक पिछले दिनों लिखा कि मुझे लाहौर का नोस्टेल्जिया है। जी हां है, क्योंकि मेरा पहला नोस्टेल्जिया वह है, जो मैंने कांग्रेस का सेशन देखा था और जब कभी मैं लाहौर जाता हूं तो तीन जगह मुझे बहुत याद आती हैं। एक वहां की सैंट्रल जेल थी, जहां मेरे पिता जेल में थे, एक वहां की महिलाओं की जेल थी, जहां मेरी मां कैद

थीं और एक बच्चों की जेल थी, जिसमें मुझे रखा गया था। उन तीन जगहों पर जब मैं जाता हूं तो फिर उन तमाम परम्पराओं को याद करता हूं और सोचता हूं कि अब जो वायदे हमने किए थे, हम कितने उनको पूर्ण कर चुके हैं, कितने नहीं कर पाए हैं।

जवाहरलाल जी ने इसी सदन में, इसी जगह शायद बैठकर एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने कही थी, जिसका नाम उन्होंने ट्रिस्ट विथ डैस्टिनी दिया था। अब जवाहरलाल जी की बात करना छोटा मुंह बड़ी बात है। अब यह तो मैं कह सकता हूं कि जवाहरलाल जी ने जो वायदे किए और जिसके ऊपर वे कायम रहे, उसी से हमारी पॉलिसियां बनी हैं और मैं अगर फिर छोटा मुंह बड़ी बात कहूं, तो पॉलिसियां जो यह सरकार बनाएगी, जब तक आप इसको रखेंगे, उसी से चलेगी, जो ट्रिस्ट विथ डैस्टिनी जवाहरलाल जी ने की थी। वे वायदे देश के वायदे हैं, दरअसल वे वायदे कांग्रेस के वायदे नहीं हैं, वे वायदे किसी एक परम्परा के, किसी एक खास सम्प्रदाय के नहीं हैं, उसी वायदे में अटल जी भी शामिल हैं, उसी वायदे में जसवन्त सिंह जी भी शामिल हैं, चन्द्रशेखर जी भी शामिल हैं और गिनता जाऊं, कितने नाम गिनवाऊं कि मैं आज शाम तक गिनता रह जाऊं, शायद उसको पूरा न कर पाऊं।

आज एक ही बात मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, जब मैं आपसे एहतमाद का वोट मांगता हूं तो वोट इस बात के लिए मांगता हूं, उस वायदे को पूरा करने के लिए और गवाही देता हूं, अपने तमाम पास्ट की और गवाही इस बात की देता हूं कि उन परम्पराओं में, जिसमें सेक्युलरिज्म की जड़ भरी हुई थी।

एक बात मुझे और याद आई। कांग्रेस का सेशन हो रहा था, मेरे पिता चूंकि कांग्रेस में थे, मुझे भी साथ ले गए, मैं छोटा बच्चा था तो वहां कांग्रेस ने पहली दफा रेजोल्यूशन पास किया था कि यह देश डाइवर्सिटीज का देश है, इसकी एकता विविधता में रहेगी। इस देश में धर्म अलग-अलग हैं, भाषाएं अलग-अलग हैं, कपड़े पहनने के ढंग अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। उस एकता को कायम रखने का जो वायदा कांग्रेस सैशन ने उस वक्त किया था, वे वादे आज भी कायम हैं। कांग्रेस या उस जमाने की पार्लियामेंटरी कांग्रेस पार्टी नहीं थी।

एक प्लेटफार्म था, एक मूमैंट थी, एक तहरीक थी जो देश को आजादी की तरफ ले जा रही थी। उसका नाम आगे चलकर हमने सेक्युलरिज्म को दे दिया, परिवर्तन का दे दिया। यह कहना शुरू किया कि देशवासी जो भी हैं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे किसी जगह के रहने वाले हों, चाहे कोई भाषा बोलते हों, किसी भी धर्म के पीछे जाते हों, हम सबमें हम अलग भी हैं और एक भी हैं। इस एकता के नाम पर मैं दूसरा वादा आपसे करता हूं। वह वादा यह है कि धर्मनिरपेक्षता की जितनी भी परम्पराएं हैं, उनको यह सरकार कायम करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सेक्युलरिज्म रिवाइव्लिज्म से खड़ा नहीं होता। पीछे की तरफ मुड़कर देखेंगे तो हमारी जड़ें मजबूत हैं, हमारी संस्कृति अपनी है और उस संस्कृति पर हमें नाज़ भी है, फख्र भी है, लेकिन उसके साथ-साथ आगे भी हम देखते हैं। यही बात जवाहरलाल जी अक्सर कहा करते थे, कि हम साइंटिफिकली

सोचें। जब कोई बिजली का बल्ब जलता नजर आए तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए बच्चे को समझाना चाहिए कि बिजली जलती कैसे है। इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी को आज साइंटिफिक टैम्पर कहते हैं। आज से बहुत साल पहले, गांधी जी से भी पहले इस देश में बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध जी ने एक बात कही थी, उसको मैं हमेशा याद रखता हूं।

"मुझ पर विश्वास न करें क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं। इसलिए विश्वास न करें क्योंकि अमुक-अमुक किताब में ऐसा लिखा है। हमेशा प्रश्न करें।" जिज्ञासु मस्तिष्क ही 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' कहलाता हैं और उसकी तरफ मेरा आपसे तीसरा वादा है कि देश को साइंटिफिक टैम्पर की तरफ ले जाना है।

मेरा एक वादा आपसे और है, वह यह है कि यह देश गरीबों का है, कुचले हुए लोगों का है, जिनको सदियों से इन्साफ नहीं मिला। जिनको अछूत होने का कसूर माना गया है। जिनको हाथ लगाना तो एक तरफ, जिनके साए को भी कभी देख लें तो समझते थे कि धर्म भ्रष्ट हो गया। उसको दूर करने की हम पिछले पचास साल से कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिली है, लेकिन उतनी नहीं मिली। छुआछूत देश से खत्म नहीं हुआ। कोई यह कहे कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपना हक मिल गया, यह कहना सच नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार की एक कोशिश यह भी होगी कि उन पिछड़े हुए लोगों को जिनको सदियों से इन्साफ नहीं मिला, चाहे उसका नाम सोशल जस्टिस रख लीजिए या सोशलिज्म रख लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए, एक बात जरूर है और वह यह है कि हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा जब तक देश में रहने वाले तमाम लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी इतिहास के हों, हम एक साथ खड़े होंगे, तब देश आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा।

एक बात और ध्यान रखिए कि इस देश में एक और परम्परा हम लोगों ने डाली है। वह यह कि हम लोग सोचते हैं किसी को उसका हक मिल जाए तो हम उस पर दया कर रहे हैं। किसी के ऊपर दया नहीं कि जा सकती। यह देश सबका सांझा है। यह हाउस इस लोकतांत्रिक देश की नुमाइंदगी करता है, यह हाउस उन परम्पराओं की नुमाइंदगी करता है जिनको हिन्दुस्तान आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ाने की कोशिश में लगा रहेगा, और उस कोशिश में मैं थोड़ा सा दान दे पाऊं, मेरी उम्र का यह जो हिस्सा है उसमें उसी वादे को पूरा करना चाहता हूं। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए एक वादा और करना चाहता हूं वह यह है कि इस देश में हम लोगों ने नई किस्म की परम्पराएं डाली हैं। हम लोग आपस में मिलकर जहां बुनियादी बातें होती हैं, उनमें नेशनल कंसेंसस करते हैं। चाहे विदेश नीति की बात हो, उसमें भी हम नेशनल कंसेंसस की बात करते हैं, हमें इकोनॉमिक पॉलिसी में भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।

डेमोक्रेसी बुनियादी तौर पर इस चीज का नाम नहीं है कि हम हर चीज में नफा देखें। डेमोक्रेसी इस चीज का नाम है कि अक्सर चीजों में हमारी एक राय है। किसी न किसी चीज पर हमारी एक राय बन सकती है, बिगड़ सकती है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखें, इस

मुल्क में मेरे भाई चाहे इस तरफ बैठे हों, चाहे उस तरफ बैठे हों, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम एक दूसरे की राय से इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की मुखालफत नहीं करते हैं। हम लोगों में वही रिश्ता बना रहे, यही तरीका है लोकतंत्र को चलाने का। मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि यह परम्परा कायम रखी जाए। यह परम्परा अगर कायम रहेगी तो देश आगे बढ़ पायेगा। आज देश बढ़ते-बढ़ते गठबंधन के युग में चला गया है। मेरे पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे कोलीशन में मेरे साथ हैं। आज हर जगह कोलीशन है। हम उस तरफ देखते हैं अटल जी की सरकारों में भी गठबंधन नजर आता है। इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी गठबंधन नजर आता है।

मिली-जुली सरकार बनाना आसान है लेकिन मिली-जुली सरकार के कल्चर को सीखने में टाइम लगता है। आज जब सरकारें बनती है और बिगड़ती हैं तो मैं उसे पॉजिटिव नजर में देखता हूं और मेरी पॉजिटिव नजर यह है कि आखिरकार हम लोगों ने आपस में कोलिएशन सरकार बनाने के पोलिटिकली तो फैसले कर लिए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा हो, वादे किए जाएं तो निभाए जाएं, किस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ बैठें और कोई ऐसा सलूक न करें कि बाद में फिर अफसोस हो। कई दफा मायूसियां भी हो रही हैं। हमें भी हो रही हैं, आपको भी हो रही हैं और सबको हो रही हैं। लेकिन इस मायूसी से मायूस होने का काम नहीं है। इन मायूसियों से भी हमें रास्ता निकालना है।

हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर चाहें इधर बैठे हुए लोग हों या उधर बैठे हुए लोग हों, यदि एक तरह से आवाज नहीं उठाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मेरे भाई सोज जी बैठे हुए हैं, कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। आज कश्मीर ने एक नया मोड़ ले लिया है। वहां इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और आज लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दुख-दर्द खत्म हो गया है। दुख-दर्द अभी भी वहां है। इसलिए उसमें भी मैं, चाहे इस तरफ बैठे हुए भाई लोग हैं या उस तरफ बैठे हुए भाई लोग हैं और जब भाई कहता हूं तो बहनें भी उसमें शामिल हैं।

मैं जब सुषमा जी की बात कर रहा हूं तो मैं महिलाओं की बात करना चाहता हूं। इस देश में महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है। यह असलियत की बात है। हम लोग चाहे कहते रहें कि हमारे धर्म में यह लिखा है, हमारे धर्म में वह लिखा है लेकिन घर, समाज और राजनीति में महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है। मेरी कोशिश यह होगी कि महिलाओं को उनका हक दिया जाए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। यही बात गांधी जी ने कई दफा कही थी। सन् 1937 में जब पहली दफा सरकारें बनी थीं।

मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूं। जब 1937 में पहली दफा अंग्रेजों के यहां रहते हुए सरकारें बनी थीं, उस समय गांधी जी ने दो बातों पर जिद की थी। एक बात उन्होंने कही थी कि कोई ऐसी सरकार नहीं बनेगी जिसमें महिला मिनिस्टर नहीं होगी। दूसरी बात यह कही थी कि कोई सरकार ऐसी नहीं बनेगी जिसमें कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मिनिस्टर नहीं होगा। यह भी गांधी जी का ही कहना है जो हमको निभाना है। मैं ये बातें बुनियादी तौर पर इसलिए कर रहा हूं एक वादा मैं आपसे और भी कर रहा हूं और वह

वादा यह है कि हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। मेरे कमरे में तो अभी वह क्लॉक नहीं है लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी के कमरे में जब मैं जाता था तो वहां एक पापुलेशन क्लॉक रखी रहती थी। जब मैं पापुलेशन का करेंट डाटा देखकर आता था तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। आज देखा जाता है कि हमारी आबादी 95 करोड़ से ऊपर हो गई है। हम लोगों ने जुबानी बहुत कुछ कहा है कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। कुछ कामयाबी हुई है। लेकिन उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि यह फैमिली प्लानिंग की कामयाबी तभी होगी जब महिलाओं को उनका हक मिलेगा। महिलाओं की निरक्षरता तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि हम महिलाओं को स्कूल और कॉलेज में भेजने के लिए समाज में वातावरण पैदा नहीं करेंगे। मेरा आपसे एक वादा यह भी है और मैं उस तरफ जाने की कोशिश करूंगा।

एक बात का और ध्यान रखिए। एक दफा स्वीडन में कांफ्रेंस हुई थी और उसमें एनवॉयरनमेंट के बारे में बात उठी थी। उस जमाने में मैं हाउसिंग मिनिस्टर था। मुझे भी इंदिरा जी के साथ जाने का मौका मिला था। एक बात वहां निकलकर आई थी। वह यह थी कि पॉल्यूशन और पॉवर्टी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जब तक हम पॉवर्टी में डूबे रहेंगे, हमारे एनवॉयरनमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जब तक गरीबी की बात चलेगी तब तक हम लोग निरक्षरता भी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये दोनों बातें हैं। एक दफा किसी ने कहा था:—

"मुझे एक ऐसे देश का उदाहरण दें जहां साक्षरता है। लेकिन वह पिछड़ा हो या ऐसा देश बताएं जहां निरक्षरता हो लेकिन वह विकसित हो।"

एक वायदा हमको यह भी करना पड़ेगा कि हम लिट्रेसी की तरफ जाने के लिए खास ध्यान देंगे। मैं लम्बी बातें नहीं कहूंगा, एक-दो बातें कह कर खत्म करूंगा।

एक बात यह है कि मेरा इस सरकार से संबंध रहा है, जो आज से पहले थी। उसने एक फॉरन-पॉलिसी बनाई थी, उस फॉरन-पॉलिसी पर मुझे आप सबकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। फॉरन-पॉलिसी वही रखी जाएगी। उसी को हम आगे बढ़ायेंगे। उसी से नए किस्म के रिश्ते कायम करेंगे। आज भी मैं जब अपने दफ्तर में पांच मिनट के लिए बैठा, मैं उनके नाम नहीं गिनवाऊंगा, तो हमारे पड़ोसी मुल्कों से मुझे किस किस्म के मैसेज और किस किस्म के प्यार के टेलीफोन आ रहे हैं। वह बदले हुए माहौल का और बदले हुए वातावरण का हिस्सा है, जिसकी हम सराहना करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह मैंने किया है, वह आपकी कन्सैंसस ने किया है और कन्सैंसस को कायम रखना इस मुल्क की बुनियादी पॉलिसी होगी। आज आपकी पॉलिसियों के ऊपर भी वही कन्सैंसस हमको बनाना भी है और उसी को आगे बढ़ाना भी है। कन्सैंसस हमारे मुल्क में सोशियल जस्टिस के ऊपर बन चुका है। खुशकिस्मती से आज ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, जो आज इस बात को मानती हो। हमें उसके लिए और कदम उठाने हैं। मैं एक-दो वायदे और करना चाहता हूं।

एक वायदा यह कि जब तक मैं इस सरकार में सरबराह हूं, तब तक यह सरकार ट्रांसपेरेन्ट सरकार रहेगी। यह सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि यह एकाउन्टेबल रहे। एकाउन्टेबल

आप सब, आप जब भी हमारे कपड़े उतारेंगे, मुझे उसमें शिकायत नहीं होगी। जब भी आप यह कहेंगे कि हमने कहीं गलती की है–कई गलतियां होती हैं, तो उनके लिए तो मैं ईमानदारी से आपसे इन्डलजैंस मांगूंगा और नीयत खराब होने की वजह से गलती की है, तो उसके लिए बिना शक आप क्रिटिसाइज करिए और उसके लिए मेरा हर साथी जो गलती करेगा, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद ओटूंगा और अपने साथी, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, मैं इस बात के लिए उसको प्रोटैक्ट नहीं करूंगा। साथ ही साथ इस मुल्क में विच-हंटिंग नहीं होने दूंगा। वह वातावरण नहीं आएगा।

*** *** ***[1]

मैं एक बात और कह दूं कि इस देश की बुनियाद इस देश की जड़, इस देश का गौरव हिन्दुस्तान के किसान से है। हिन्दुस्तान के किसान के साथ जब तक सरकार का रिश्ता जुड़ा रहेगा, उसके हितों और कल्याण की तरफ जब तक ध्यान रहेगा तब तक यह सरकार रहेगी और मजबूत रहेगी। मैं आज अपने किसान भाइयों से, उन भाइयों से जो मिल में काम करते हैं, उन भाइयों से जो सारा दिन मेहनत से, मजदूरी से टोकरी उठा कर रात-दिन के लिए रोटी कमाते हैं उनकी तरफ सरकार का पहले से ज्यादा ध्यान रहेगा, यह भी मेरा आपसे एक वायदा है। मैं और लम्बी बात नहीं कहूंगा, शाम को जब सब भाई कह चुकेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि शाम को आप मुझे एक और मौका देंगे और तब मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा।

इस वक्त मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान के सामने चेलैंज है–स्थिरता का, आंतरिक स्थिरता और बाहरी स्थिरता। आंतरिक स्थिरता तो सोशल जस्टिस से, सेक्युलरिज्म से और एक-दूसरे का ध्यान रखने से पैदा होगी और बाहरी स्थिरता हम सबके मिल कर बात करने से कंसेंसस से होगी। इसलिए मैं बुनियादी बात कह कर खत्म करता हूं। यह सरकार चलाई जाएगी जब तक मुमकिन हो सकेगा और शायद मुमकिन से भी कुछ ज्यादा चलाएंगे। यह तभी होगा जब हम लोग कंसेंसस के साथ बात करेंगे। हमारे बगल में मेरे दोस्त चिदम्बरम जी बैठे हैं और बात खत्म करने से पहले मैं उनका नाम लेना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि अनुवाद के माध्यम से मेरा संदेश उन तक पहुंच रहा है।

*** *** ***[2]

मैं कह रहा था कि मैंने आपकी आवाज सुन ली है और सुबह से मेरे बोलने के बाद मेरे मित्र मुझे मिले भी थे, उन्होंने इस बात की सराहना की थी कि मैंने इस पद से पहली तकरीर जो की है, वह मैंने हिन्दी में की है।

हिन्दी मेरी भी मातृभाषा है, मैं भी उसी जुबान में पला हूं और उसी संस्कृति की नुमाइन्दगी मैं भी करता हूं, जिससे यह भाषा पैदा होती है। देश में यह भाषा बाहर से नहीं आई थी, चाहे बात हिन्दी की हो, चाहे बात उर्दू की हो, इसी धरती से पैदा हुई थी।

इसलिए जब मैं वह भाषा बोलता हूं जो आम आदमी समझता है तो मैं न कोई पंडित हूं, न ज्ञानी हूं, न मौलवी हूं। मैं तो सिर्फ एक बात समझता हूं, वह यह कि इस पद से जो भी बोले, चाहे किसी भी भाषा में बोले उसका लाइन आफ कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ होना चाहिए। मैं अंग्रेज़ी में इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा था कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी हिंदी को नहीं समझते। क्योंकि मैं यहां से बात कर रहा हूं, सुबह मैंने हिन्दी में जिक्र किया था, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस वक्त अंग्रेज़ी में बात करूं ताकि उन लोगों तक भी मेरी बात पहुंच सके।

सदन में विश्वास मत प्राप्त करते हुए जो कुछ मैंने सुबह कहा था, उसको आगे जारी रखते समय, किसी का बचाव अथवा किसी की आलोचना करने का मेरा कोई विचार नहीं, वह मेरा उद्देश्य ही नहीं था। मेरा मूलत: यदि उद्देश्य था कि सुबह सदन में मैंने जिन वचनबद्धताओं का उल्लेख किया था, उन पर दृष्टिपात करूं। चर्चा इस रूप में उजागर हुई है, कि जिससे दो बातें उभर कर सामने आई हैं। पहला यह कि सदन के सभी वर्गों ने अपने भाषणों में मेरे नाम का उल्लेख करने का प्रयास किया है जिसके लिए मैं आभारी हूं और इससे मुझमें और विनम्र भाव पैदा हुआ है। इस स्थान पर खड़े होकर बोलते हुए जब मैं इसके इतिहास को देखता हूं तो मुझे तीन विचार दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम यह कि जवाहर लाल नेहरू ने इसी पद को सुशोभित किया। दूसरा विचार कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इसी पद पर आसीन रहीं। तीसरा कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस पद को सुशोभित किया। महान हस्तियों के समक्ष मैं अपने को अदना व्यक्ति पाता हूं। परन्तु आपने मुझे सम्मानित किया है; अत: मैं आपका आभारी हूं। आप जितना अधिक मुझे सम्मान देते हैं उतना अधिक ही मैं विनीत होता हूं।

जिसे हिन्दी में नम्रता कहते हैं। मैं नम्रता से बात करता हूं और कहना चाहता हूं जो वादे मैंने सुबह किए थे, उन पर कायम रहना चाहता हूं। दूसरी बात आने से पहले एक बात साफ कर दूं कि मैंने सुबह से एक बात शुरू की थी।

आज सुबह मैंने कहा था कि मैं भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर बोल रहा हूं। यह पचासवां वर्ष केवल संख्या मात्र नहीं है क्योंकि वर्ष तो बीतते ही जाते हैं। आप इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते; चाहे हम किसी व्यक्ति की आयु के बारे में सोचें; राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें या इतिहास के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखें। कुछ कारक ऐसे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं और सालों के बीतने की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। अत: भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर केवल मैं नहीं–मेरे विचार से सदन के सभी वर्ग, अतीत की ओर तथा वर्तमान की एक झांकी देखना चाहेंगे।

सुबह भी मैंने अपने मित्रों को याद दिलाया था कि केवल मैं अकेला ही नहीं परन्तु मेरे वे मित्र भी जो यहां बैठे हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम की विरासत पर गर्व से दृष्टिपात करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम केवल मात्र एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं लड़ी गई। केवल एक विशिष्ट पार्टी द्वारा नहीं; चाहे कांग्रेस ही उसका नाम रहा हो। कांग्रेस तो एक मंच था, और उसके आयाम इसके कहीं बड़े थे, जितना आज पार्टी समझती है।

मुझे नहीं पता सदन के कितने सदस्य उस परम्परा का स्मरण करना चाहेंगे जब कांग्रेस न केवल यह बता रही थी कि वह उपनिवेशवाद से क्यों लड़ रही है और इसका क्यों विरोध कर रही है अपितु साथ ही साथ वह कदम-दर-कदम भारतीय के भविष्य का भी निर्माण कर रही थी। **विश्व में अन्य स्वतंत्रता संग्रामों की तुलना में हमारा स्वतंत्रता संग्राम एक अर्थ में अद्वितीय था क्योंकि हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे थे।**

हमारे पूर्वजों अथवा संविधान के निर्माताओं जो भी उन्हें कहें, चाहे वह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना आजाद थे, उन्होंने भारत के भविष्य को नई दिशा दी। भारत का संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है। चाहे हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने में बाबा साहेब अम्बेडकर का भारी योगदान था, तो भी यह केवल एक पुस्तक मात्र नहीं; परन्तु इसमें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किए गए वादे को बताया गया है।

इसमें एक वादा था–लोकतंत्र। दूसरा था–भारत की एकता और इस एकता में विभिन्नता का तत्व विद्यमान रहना। इसको इस रूप में निरूपित किया गया है कि जैसा कि सुबह मैंने हिन्दी में कहा कि हम अलग-अलग धर्मों के मानने वाले हैं। हमारे रहन सहन के ढंग अलग-अलग हैं, हम भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं: परन्तु फिर भी हम एक हैं। स्वतंत्रता संघर्ष ने हमें संगठित किया–यह स्वतंत्रता संग्राम की देनों में से एक देन है। जैसे कि मेरे मित्र श्री चिदम्बरम कह रहे थे इस संघर्ष ने हमें उदारवादी दृष्टिकोण भी दिया। यह उदारवादी दृष्टिकोण, मेरे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं उपजा; न यह मेरे द्वारा तैयार किया गया। यह मुझे स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले नेताओं से मिला। उनका मानना था कि बगैर दिलों-दिमाग को खुला रखे, अपने विचारों और दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, अन्यथा आप भारत का नेतृत्व नहीं कर सकते। हम इसी का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारत की विरासत में विद्यमान है। मैं तो आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे इतिहास से या भाग्य से मैं इस पद पर पहुंचा हूं, मैं इस विरासत को अक्षुण्ण रखना चाहता हूं।

इसी विरासत ने भारत के भविष्य सम्बन्धी उपधारणाएं भी रची हैं। जैसा कि मैंने कहा इसने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से भी कुछ वायदे किए थे। जब मैं युवावस्था में था, आप में से कुछ भी उस समय इसी युवावस्था में होंगे जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। उन्होंने भूख-हड़ताल क्यों की? जवाहर लाल नेहरू ने उस समय इस विषय पर एक लेख लिखा और मुझे वह लेख याद है। गांधी जी ने उपवास क्यों किया? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि गांधी जी स्वंतत्रता संग्राम की गाड़ी को पटरी से उतार रहे हैं। उन्होंने कहा, "शायद वे लोगों का ध्यान मुख्य संघर्ष से हटाना चाहते हैं"। वे इस बात पर जोर देने के लिए उपवास कर रहे थे कि "प्रत्येक मनुष्य को मंदिर जाने का हक है"। यह गांधी जी का व्याख्यान था इसीलिए वह महात्मा बने और इसी तत्व ने उन्हें बाकियों से ऊपर रखा। जब वह अपने से ऊपर उठे तो उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा को देखा जिसे मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने देखा कि किस प्रकार उसको दबाया जाता है और जब उन्होंने उस व्यक्ति के अनादर और उसके प्रति की गई अमानवता को देखा तो उन्होंने कहा, "इससे तो अच्छा है कि मैं जीवन बलिदान करूं, जब तक वह

मंदिर में प्रवेश न कर पाएं"। गांधी जी स्वयं कभी मंदिर नहीं गए। वह धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान थे परन्तु मंदिर जाने वालों में नहीं थे। वे सुधारवादी नहीं थे, वे धार्मिक पुनर्जागरण के पक्षधर भी नहीं थे। वे इतिहास के ऐसे सर्वाधिक आधुनिक व्यक्ति हैं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है। उन्होंने हमारे सामाजिक चिन्तन को बिल्कुल बदल दिया।

मुझे फिर याद आता है यदि मैं जरा सा आत्म-संस्मरणों की ओर अभिमुख होता हूं कि जब पहली बार मेरी मां जेल गई तो मेरी दादी कई दिनों तक रोती रही और उन्होंने कहा वे इसलिए नहीं रो रही कि उनकी बेटी जेल गई हैं, अपितु इसलिए कि वे अपने गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही क्योंकि वे कहेंगे "आपकी बेटी तो जेल गई है"। गांधी जी ने जेल जाने की महत्ता को बढ़ा दिया और जेल जाना इज्जत का प्रतीक हो गया। उन्होंने हमारे मूल्यों में आमूल परिवर्तन कर दिया। उन्होंने मूल्यों को इसलिए बदला ताकि मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार हो। हम हिन्दू हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं; मैं जातियों का बखान नहीं कर रहा वे तो बहुत हैं परन्तु फिर भी भारत में एकता है। भारत की एकता कभी भौतिक एकता नहीं हो सकती, हम यहां के कानूनों या संविधान बनाने के अर्थों में राष्ट्र को संगठित नहीं बनाते; हम दिलों को एक करते हैं।

वहां पर बैठे मेरे मित्र मुसलमानों की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ सिक्खों की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, और अन्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। वे सब मनुष्य मात्र के द्योतक हैं। वे सब आकांक्षाओं के द्योतक हैं। वे सब इस राष्ट्र में अपने अस्तित्व को प्रतिपादित करते हैं; उन्हें जोड़ो और भारत जुड़ जाएगा, उन्हें तोड़ो और भारत बिखर जाएगा।

आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या हम सेकुलरिज्म की परिभाषा देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम इस 'वाद' और उस 'वाद' और उस 'वाद' को परिभाषा देने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम पी.एच.डी. के लिए थीसिस लिख रहे हैं? क्या हम हारवर्ड विश्वविद्यालय जा रहे हैं उन्हें यह बताने कि हम उनके विषय में क्या सोचते हैं? हमने अपने अनुभवों की परिधि में यह सब विस्थापित कर दिया है, हमने अपनी विरासत के अर्थों में उसे अभिव्यक्त कर दिया है। यदि इन तीन बातों को ध्यान में रखा जाए तो सब काम अपने आप सही चलेंगे।

सदन में हम सबकी राय भिन्न-भिन्न हो सकती है। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत आदर करता हूं। जब वे विदेशी मंत्री थे तो मैं राजदूत था। मैं उनके मूल्यों से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि उनकी आस्थाएं क्या हैं और इसी कारण मैं उनका आदर करता हूं। हम सबके विचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और यही तो लोकतंत्र है। यदि विचारों में भिन्नता हो तो क्या किया जा सकता है?

श्रीमती सुषमा स्वराज यहां बैठी हुई हैं। वे भाषणकला में बहुत निपुण हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे उत्तर दूं। उर्दू का एक शेर मुझे याद आता है:—

तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो
मैं तुमको देखूं या तुमसे बात करूं।

स्थिति यह है। परन्तु मैं सोचता हूं हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हमें बहुत सी बातें देखनी होती हैं। सुबह हम भारत की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन जैसा एक विशाल देश बिखर गया। यह क्यों हुआ? मुझे लगता है मेरे से अधिक तो यह बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी बता सकते हैं। मैं उनके समाज में पांच वर्ष तक रहा उसमें सब कुछ था जो लम्बे अरसे तक चलता, जिसमें टैंक थे, विमान थे परन्तु फिर भी सब बिखर गया। आन्तरिक सुरक्षा वहां नहीं थी। लोग आन्तरिक सुरक्षा में आस्था खो चुके थे।

अभी-अभी मैं वहां गया और मैंने उन दिनों के एक पुराने मित्र को, जो नई प्रणाली में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं, पूछा, "मुझे तो बहुत अचम्भा हुआ है। मैं पांच वर्ष तक यहां रहा। सब कुछ सामान्य लगा फिर ऐसा क्यों हुआ?" मैं इस सज्जन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि शायद वे इससे झेंप जाएं परन्तु उन्होंने मुझे बताया कि वह केवल एक ही बात बता सकते हैं कि उनके वहां राजसत्ता कभी नहीं थी केवल पार्टी की सत्ता रही और जब वह पार्टी दूर गई, तो राज्य भी बिखर गया।

इस परिस्थिति से हम बचाव करना चाहते हैं। हम ऐसी कोई स्थिति पैदा होने नहीं देना चाहते जिससे राष्ट्र का महत्व किसी अन्य से कमतर हो। राष्ट्र सर्वोच्च निकाय है और वह किसी एक पार्टी की सम्पत्ति नहीं है; राष्ट्र किसी एक विचारधारा का बन्दी नहीं होता, वह किसी एक धर्म का अनुयायी भी नहीं होता; वह हम सबका है और यह भारत देश, जो अब तक हमेशा जिन्दा रहा है–वह शानदार भारत देश है और हम सब की उसमें आस्था है। अब राष्ट्र लोगों के माध्यम से चलता है; देश संस्थाओं के माध्यम से चलता है और न्यायपालिका इन्हीं का एक हिस्सा है। यदि हम न्यायपालिका से कोई वादा करते हैं और इसे पूरा नहीं करते तो इससे देश को, राष्ट्र को नुकसान होगा। आइये, हम ऐसा न करें। राष्ट्र इस सदन के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है। यदि हम वास्तविकता का निरूपण नहीं करते और उसका आदर नहीं करते, तो आप मेरे साथ नहीं चल सकते और राष्ट्रपति जी मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकते, परन्तु इससे देश का, राष्ट्र का अहित होगा। जब राष्ट्र का अहित होगा तो मेरे विचार से देश का भविष्य भी खराब होगा। यदि बहुत से लोगों की देश में आस्था समाप्त हो जाती है तब भी देश का अहित होता है; जब युवा बेरोजगार रहते हैं तो भी देश का अहित होता है; देश में इसकी आस्था समाप्त हो जाती है – पहले सरकार में, फिर देश में। किसी सरकार को आप विश्वास मत के विरुद्ध वोट देकर गिरा सकते हैं; लेकिन उससे राष्ट्र को क्षति पहुंचती है। अत: क्षति पहुंचाने की इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जब हम धर्म-निरपेक्षता की बात करते हैं अथवा अपने बीच किसी प्रकार की एकता के बारे में चर्चा करते हैं तो वास्तव में हम राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहते हैं। फिर यह एक प्रकार की वचनबद्धता है जिसे मैं पूरा करना चाहूंगा। परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे सामाजिक जीवन के भी बहुत से आयाम हैं। हम हमेशा इस तथ्य पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में किसानों का महत्व है, वाकई है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री

जैसे व्यक्ति ने कहा, "जय जवान, जय किसान" इस नारे से वह कुछ कहना चाहते थे, यह मात्र नारा नहीं था। वह भारत का निर्माण कर रहे थे। वे जानते थे, कि भारतीय समाज में इन दो घटकों का विशेष महत्व होगा। मैं भी इसके प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराता हूं।

उन सब मामलों के प्रति भी मैं अपनी वचनबद्धता देता हूं जो नीतियों से सम्बन्धित हैं। अटल जी ने यह बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे सहमत हूं और मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। हमारी विदेश नीति की सफलता का रहस्य क्या है? वह इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि जवाहर लाल नेहरू ने इसका निर्माण किया; यह इसलिए सफल हुई क्योंकि जब अटल जी उसी पर आसीन हुए तो उन्होंने भी वही बात दोहराई। जब मैं इस पद पर पहुंचा तो मैंने भी वही बात कही और जब श्री नरसिंह राव उस आसन पर आए तो उन्होंने भी वही बात कही, जब श्री चन्द्रशेखर उस पद पर आसीन हुए तो उन्होंने भी वही बात कही; इसी का नाम भारत है और यही भारत की विदेश नीति की सफलता का रहस्य है। कभी-कभी ब्यौरों के संबंध में हम सबमें मतभेद हो सकते हैं और कभी-कभी प्रारूपण के समय भी परन्तु सर्वसम्मति का मूल अर्थ यही है कि हम उसे बरकरार रखते हैं। श्री नरसिंह राव हर वर्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों भेजते रहे? वे मुझे मानवाधिकार आयोग में क्यों प्रतिनियुक्त करते रहे जब एक ऐसे पड़ोसी से हमारा मुकाबला चलता रहा जिसके नाम का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता।

उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक ऐसा संदेश देना चाहते थे जो प्रत्येक प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जब भी मैं विदेश जाऊंगा तो मैं वह संदेश हमेशा देता रहूंगा कि हम भारतीय हैं और हम एक हैं। हम दलों के प्रतिनिधि मात्र नहीं हैं; हम मात्र मतभेदों को अभिव्यक्त करने वाले नहीं; हम भारतीय एकता के प्रतीक हैं। यही कारण है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले सत्र के शुरू होने तक मेरा यह सौभाग्य हुआ कि मैं इस पद पर आसीन रहूं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तब भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही हमारे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें, उन्होंने इतनी अच्छी तरह यह कार्य को अंजाम दिया कि मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। केवल इतना ही नहीं, वे स्वाभाविक उच्च सम्पन्न व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हम भारतवासियों को इस तथ्य पर गर्व है और हमारे लिए यह गर्व का विषय है। हमें इस बात पर गर्व है कि जब कभी भी हम विदेश जाएं, चाहे मैं जाऊं या श्री पी. वी. नरसिंह राव या मेरे मित्र श्री चन्द्रशेखर या मेरे मित्र श्री शरद पवार, वे वहां वैसा ही आचरण करेंगे जैसा श्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार निम्नलिखित शब्दों में बयान किया था:—

"विदेश में मैं कभी अपने देश की आलोचना नहीं करूंगा
और देश के अंदर आलोचना करना कभी छोड़ूंगा नहीं।"

अत: यह हमारा आगे बढ़ने का ढंग है और इसी आधार पर हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है।

हर विभाग जो नए-नए प्रधानमंत्री को नोट भेजता है, मैंने भी वह मंगाए थे। अध्यक्ष, चूंकि आप स्वयं एक मंत्री रह चुके हैं; अत: आप इस प्रक्रिया से अवगत रहे होंगे। आप जानते हैं कि इस प्रारूप को न तो मैं तैयार करता हूं न आप तैयार करते हैं यह हमारे पास आते हैं। मैं इन्हीं नोटों का विस्तार दे सकता था और यही समय हर विभाग की नीति बताने में व्यतीत कर सकता था। परन्तु मैं जानता हूं कि समय पूरा हो चुका है। इस उद्देश्य के लिए अब मैं आपका समय नहीं लूंगा। अगले सप्ताह जब बजट पर बहस होगी तब मैं कुछ समय लूंगा क्योंकि नीति-निरूपण का सही समय मेरे लिए तब होगा। इस समय तो मुझे कुछ उप-धारणाओं का निरूपण करना है और राष्ट्र को दो बातों के लिए आगाह करना है।

मैं फिर उर्दू का शेर सुनाता हूं:—

"आईने नौ से डरना, तरजे कोहन पे अड़ना,
मंजिल भी कठिन है, कौमों की जिन्दगी में।"

यह हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है और हमें इस मुश्किल की घड़ी को पार भी करना है, इससे ऊपर भी उठना है और इस संकटपूर्ण स्थिति रूपी नदी को इकट्ठे तैरकर पार करेंगे। अपने इतिहास में हमने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब हमने गलतियां कीं, परन्तु यदि हमने वो गलतियां न की होतीं तो हम उन परिस्थितियों को पार भी न कर पाते।

फिर से एक उर्दू के शेर की ओर आपका ध्यान दिलाकर मैं अपना भाषण सम्पन्न करूंगा:–

"वो वक़्त भी देखे हैं तारीख की राहों ने
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।"

मैं राष्ट्र को नष्ट नहीं होने देना चाहता। मैं केवल एक वचन देता हूं। इस राष्ट्र में जो मेरी निष्ठा है, इस राष्ट्र की विरासत में जो मेरी निष्ठा है और श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र में जिस विश्वास की जो प्रतिज्ञा की थी, उसके प्रति जो मेरी मूल निष्ठा है, उसमें से मेरी यह वचनबद्धता उपजती है। उन्होंने अपने लिए इसका निरूपण नहीं किया; उन्होंने हम सबके लिए वह प्रतिज्ञा की; उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए वह प्रतिज्ञा की। मुझे लगता है कि अब यह उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ पड़ा है कि हम उसे साकार करें। हम इक्कीसवीं शताब्दी के सपने को साकार करें, हमें राजनीतिक दूरदर्शिता अपनानी चाहिए। दूरदर्शिता हमेशा दोषशून्य साबित होगी। यह आदर्श आईने हैं। जहां तक राजनीतिक विचारधारा का संबंध है, मैं इन्हें पहले रखने का प्रयास करता हूं। चलिए हम सब एक दूसरे से भिन्न-भिन्न विचारधारा रखें। कभी-कभी तो भिन्न-भिन्न विचार रख सकते हैं; कभी-कभी हम असहमत हो सकते हैं। परन्तु चलिए हम हर समय यह स्मरण रखें कि भारतीय स्वतंत्रता की आजादी की इस पचासवीं वर्षगांठ वाले वर्ष में हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। मैं जिस सर्वसम्मति से कार्यान्वित करने का प्रयास करता हूं, उसी को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता रहूंगा और मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की विदेश नीति के इस पहलू की प्रशंसा की है। इस सर्वसम्मति के आधार पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हमें भारत पर नाज रहेगा।

पश्च टिप्पण

I. मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव, 22 अप्रैल, 1997

1. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, विच-हंटिंग नहीं होने दूंगा, यह कहने की जरूरत क्या है। क्या विच-हंटिंग हो रहा है? अभी तक हुआ है? आप इसको रोकना चाहते हैं या यह कह कर कि विच-हंटिंग नहीं होने देंगे, जो मामले पड़े हैं, उन पर पर्दा डालना चाहते हैं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अटल जी, जुम्मा-जुम्मा आठ दिन, मुझे तो आए हुए 24 घण्टे हुए हैं। मैंने फाइलें नहीं देखी हैं।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : इसको आप दो बार कह चुके हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैंने फाइलें अभी देखी नहीं हैं। अगर आप मुझसे यह कहते कि बंगलादेश की फाइल क्या है, तो मैं बता देता। अगर आप यह पूछते कि सीटीबीटी क्या है, तो मैं बता देता। लेकिन जो सवाल आपने किए हैं, मुझे कागज देख लेने दीजिए। इसलिए वायदे कर रहा हूं, कागज देखने के बाद, जो भी आप मुझसे पूछेंगे, उसके लिए मेरी जबावदेही आपके पास रहेगी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जब कांग्रेस दल ने इस पार्टी को समर्थन दिया तब इसने कभी भी इस दल को उन मामलों में जो न्यायालय में लम्बित हों, निर्णय लेने को नहीं कहा। हमारा यही कहना है कि हमने कभी भी ऐसा निर्णय नहीं किया है। यह लोग अनावश्यक ही ऐसा कह रहे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अध्यक्ष जी, असल में मेरे ख्याल से संतोष मोहन देव जी को मेरा हिन्दी में बोलना समझ नहीं आया। मैंने कभी यह नहीं कहा है, मुझसे किसी ने सिफारिश की है। मैंने कभी यह नहीं कहा है कि मैंने किसी की तरफ उंगली उठाई है। न जाने उन्होंने समझा मैं हिन्दी में या उर्दू में बोल रहा हूं। हमारी आज की जुबान एक और तरह की है। न मैं इसे हिन्दी कह सकता हूं मैं जिस जुबान में बात कह रहा हूं, वह बात वह है, जिसे कम्युनिकेशन की जुबान कहते हैं और मैं उसी नाते आप से बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से बाधा न डालें।

2. **श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : हम उन्हें वहां भेज देंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : तब मैं अंग्रेज़ी में बोलूंगा। अंग्रेजी में बोलते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वापस आकर अपना पदभार संभाल लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह पहले यहीं से बोले थे। अब वह मेरे बगल में बैठे हैं। उन्हें वहां भेजा जाएगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यहां उनका स्वागत है।

श्री ए. सी. जोस (इदुक्की) : उनके उधर जाने में श्री सोमनाथ चटर्जी ही एकमात्र अड़चन हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : दूसरी बात यह है कि मूपनार जी से मेरी अपील है, मैं आज इस हाउस में भरी सभा में कह रहा हूं उनको कुछ लोगों से नाराजगी हो सकती है, किसी ने कोई गुस्ताखी भी की होगी। मैं उनके यहां गया भी था, आज सुबह भी गया था और मैंने उनको पंजाबी का एक मुहावरा कहा था। वह यह था, हमारे यहां कहते हैं कि–"करे दाढ़ी वाला, पकड़ा जाए मूंछों वाला"। आप हमारे पीछे क्यों, मैंने क्या किया।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : प्रधानमंत्री जी, यहां उल्टा है–किया मूंछों वाले ने है और पकड़ा दाढ़ी वाला गया है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे पूरी आशा है मेरी इस अपील का जवाब दिया जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं और फिर कहता हूं कि जो तहरीक आपके सामने रखी है मुझे उम्मीद और आशा है कि सारा हाउस मुझे सपोर्ट करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हाराव जी प्रधानमंत्री थे, अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो पड़ोस से जानकारी ले लीजिए, इतनी दूर की यात्रा क्यों करते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कृपया जवाब दें। यह एक ऐसा मामला है जिसे मेरे मित्र अयोध्या का एक ढांचा कहते हैं जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित विषय-वस्तु है। राज्य सरकार ने सर्वोत्तम न्यायालय और राष्ट्र को इसे बचाने का एक आश्वासन दिया था। आपने क्या किया? उसे बचाने के लिए आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने क्या किया?

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : यह कितने वर्षों तक जारी रहेगा? वे इसके लिए क्या मांग रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस घटना की निन्दा के लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया। हम जानना चाहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे: उनके पास कहने के लिए एक ही शब्द है कि वे धर्म-निरपेक्ष हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा। एक बहस होने दीजिए। आप एक समय निर्धारित कीजिए और हम इस पर व्यापक चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सर्वोच्च न्यायालय के पास लम्बित मामले के कारण उस विधेयक में अयोध्या की मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया। यह उत्तरदायित्व लिया गया था कि मस्जिद की सुरक्षा की जाएगी। अत: इनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नए प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि देश आम सहमति के आधार पर चलना चाहिए, मुठभेड़ की भावना से नहीं, संघर्ष की भावना से नहीं। देश में विदेश नीति के सवाल पर आम सहमति बहुत पहले से रही है और श्री गुजराल ने विदेश मंत्री के नाते से आम सहमति से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसको पुष्ट करने का प्रयास किया है। उन्हें सफलता भी मिली है। पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधरें, हम भी यह चाहते हैं। हम इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि कहीं हमारी उदारता को पड़ोसी हमारी दुर्बलता न समझे, उसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश न करे। ताली दोनों हाथों से बजती है।

लेकिन जहां तक देश को चलाने का सवाल है, अगर नए प्रधानमंत्री आम सहमति के आधार पर सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हम उन्हें अपने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं और हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े। मतभेदों के बावजूद आगे बढ़े, सत्ता के संघर्षों के बावजूद आगे बढ़े और उसे आगे बढ़ाने का एक तरीका है कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतना पुराना देश अगर चलेगा तो आम सहमति के आधार पर ही चलेगा और प्रधानमंत्री अगर उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो हमें बहुत दूर नहीं पाएंगे।

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अध्यक्ष महोदय।

बहुत अच्छे। नहीं, मुझे हिन्दी प्रयोग में कोई मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ यह सोच रहा था। आपकी आवाज मैंने सुन ली है।

अध्यक्ष महोदय : आप सब शोर क्यों मचा रहे हैं? भाषान्तरण सुविधा यहां उपलब्ध है। आप इस तरह अपनी मांग नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री जिस भाषा में बोलना चाहें वह उनकी इच्छा है।

श्री आर. ज्ञानगुरूस्वामी (पेरयाकुल्लम) : उन्हें अंग्रेज़ी में बोलना चाहिए।

श्री एस. के. कारवींधन (पलानी) : उत्तर अंग्रेज़ी में क्यों न हो?

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह की मांग नहीं कर सकते।

माले में हुए नौवें दक्षेस शिखर सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

16 मई, 1997

मैं 12 से 14 मई, 1997 को माले में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के नौवें शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के संबंध में सदन के समक्ष अपनी ओर से वक्तव्य देते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं। हाल के वर्षों में सार्क के सात सदस्य देशों में सहयोग बढ़ा है और इस सम्मेलन ने संगठन की ताकत को पुन: सिद्ध कर दिया है। माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं इस सम्मेलन के दौरान हुई मुख्य बातों का सारांश प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सार्क के पिछले एक निर्णय के अनुसार अधिमानत: वर्ष 2000 तक और हर हालत में 2005 तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के लिए कार्य किया जाना था। नौवें सम्मेलन में अब इस बात पर सहमति हुई कि साफ्टा को वर्ष 2001 तक कार्यान्वित कर लिया जाए, इस प्रकार यह अंतिम लक्ष्य चार वर्ष पहले पूरा हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सदस्य देशों के बीच तेजी से हो रहे आर्थिक कार्यकलाप को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ते हुए भावनात्मक लगाव का द्योतक है।

सार्क के लिए दूर दृष्टि विकसित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के एक दल के गठन के संबंध में लिया गया निर्णय एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। राज्य प्रमुखों के बीच यह आम राय थी कि सार्क अब प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप सुदृढ़ करने की स्थिति में आ गया है जिसके लिए एक कार्यसूची तैयार की जानी चाहिए।

बैठक में दक्षिण एशिया में उप-क्षेत्रीय सहयोग का प्रश्न उभर कर आया। इस शिखर सम्मेलन से पूर्व उप-क्षेत्रीय सहयोग और सार्क के क्षेत्रीय ढांचे के बीच उपयुक्त संबंधों के बारे में व्यक्त किए गए विचारों में कुछ भिन्नताएं थीं। जबकि शुरू से ही हमारी वरीयता यह थी कि उप-क्षेत्रीय सहयोग सार्क के भीतर, विशेष तौर पर इसके चार्टर के अनुच्छेद सात के उपबंधों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। कुछ अन्य देशों ने शुरू में यह महसूस किया कि उप-क्षेत्रीय प्रबंधों को सार्क के बाहर रखना उपयुक्त होगा। प्रसन्नता की बात यह है कि यह मसला सभी पक्षों की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार हल कर लिया गया। यह सहमति हुई कि उप-क्षेत्रीय सहयोग की विशिष्ट परियोजनाएं सचिवालय द्वारा विकसित और संसाधित की जाएं और इनके कार्यान्वयन से पूर्व सार्क की स्थापित प्रक्रिया द्वारा अन्तर सरकारी तौर पर उन्हें समर्थन दिया जाए। इससे सभी सदस्यों के लिए नहीं बल्कि कुछ सदस्यों की उपयोगी परियोजनाओं, जिनमें नेपाल के प्रस्ताव पर आधारित बंगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल सहित चतुष्पक्षीय प्रयास शामिल हैं, इस तरह से विकसित की जानी है जिससे सार्क की गतिविधियों में और अधिक लोच आएगी तथा ये गतिविधियां संवर्धित होंगी।

शिखर सम्मेलन में समाज में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित समस्याओं, विशेष तौर पर विभिन्न कठिन परिस्थितियों में बालिकाओं की समस्याओं पर अधिक जोर दिया गया।

यह निर्णय लिया गया कि 2000-2010 के दशक को बच्चों के अधिकारों के सार्क दशक के रूप में मनाया जाएगा। सार्क, महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देगा।

सार्क कार्यकलापों को दूरवर्ती शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करके बढ़ाया जाएगा और खुले विश्वविद्यालयों और दूरवर्ती शिक्षण संस्थानों को खुले विश्वविद्यालयों के संकाय के निर्माण की सम्भावनाओं के साथ क्षेत्र के बाहर प्रसार किया जाएगा।

पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी तथा उन पहलुओं को शामिल किया गया जिसमें वायु और जल प्रदूषण के सामान्य न्यूनतम मानक विकसित करने, सीमा पार जैव विविधता संरक्षण और वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के अवैध दुर्व्यापार को रोकने संबंधी सार्क अभिसमय तैयार करना जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इसके बाद सहयोग के इस क्षेत्र की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए सार्क पर्यावरण मंत्री साल में एक बार बैठक किया करेंगे।

सार्क अन्तर-यात्रा के लिए अपेक्षित वीज़ा की शर्तों में प्रगामी छूट की प्रक्रिया जारी रही तथा कुछ नई श्रेणियों में अब से छूट दी जाएगी। नई श्रेणियों में सार्क देशों के सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य, गैर-सरकारी संगठनों के शीर्ष निकायों के प्रमुख तथा बहुत से अन्य प्रमुखों को शामिल किया जाएगा।

सार्क क्षेत्र के अलावा व्यावसायिक संगठनों और स्वैच्छिक समूहों के मध्य सहयोग संवर्धित करने के उद्देश्य से सार्क मान्यताप्राप्त निकायों की एक नयी श्रेणी के सृजन के बारे में सहमति हुई जो सार्क सचिवालय के साथ सहयोगी और उत्साहवर्धक भूमिका अदा करने के लिए ऐसे समूहों के साथ समन्वित कार्य करने में समर्थ होगा। इस निर्णय से क्षेत्र व्यापी सहयोग और लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के नए माध्यमों को सृजित करने में सुविधा मिलेगी।

इस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की प्रगति की निगरानी के सार्क तंत्र के संदर्भ में इस बात पर सहमति हुई कि वित्त और योजना मंत्रियों की तृतीय बैठक शीघ्र ही होगी। इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने में लक्ष्य समूहों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और 1997 को 'सार्क सहभागी शासन वर्ष' के रूप में नामित किया गया है।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि शिखर सम्मेलन में सदस्य राज्यों के प्रस्ताव बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक थे जो सार्क के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। सदस्य राज्यों के भीतर सार्क के कार्यों को समृद्ध बनाने और इसे हर वर्ष और सुदृढ़ बनाने की ठोस इच्छा बलवती है। घनिष्ठ सहयोग कायम करने के बढ़ते हुए वातावरण को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सार्क नेताओं के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक परामर्श लाभदायक होगा।

इस सार्क शिखर सम्मेलन की सम्बद्ध सकारात्मक विशेषताओं में से एक विशेषता राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों और विदेश मंत्रियों को इस बात का अवसर प्रदान करना है कि वे आपस में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में बातचीत का आदान-प्रदान करें। मैंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण भावना में अन्य सभी राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के साथ बातचीत की।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी मुलाकात ने काफी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे उनसे मुलाकात करने तथा अपने द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श करने में प्रसन्नता हुई। यह हमारे दोनों देशों के बीच ढांचागत वार्तालाप विकसित करने के हमारे प्रयत्न में शुरुआती कदम है, दुर्भाग्यवश यह वार्तालाप पिछले कई वर्षों से कार्यसूची में शामिल नहीं था। हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे विदेश सचिव निकट भविष्य में एक बार पुन: बैठक करें ताकि वे सभी पहले तैयार किए जा सकें जिनके आधार पर वार्ता आगे बढ़ाई जा सके। हम हॉट लाइन लगाने, दोनों पक्षों द्वारा पकड़े गए मछुआरों को रिहा करने, यात्राओं में आने वाली रुकावटों को कम करने की आवश्यकता जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाने पर भी सहमत हुए थे दोनों पक्ष प्रतिकूल प्रचार यदि कोई हो तथा उन बयानों को जिनसे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।

नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मेरी मुलाकात से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मैत्री की पुन: पुष्टि हुई। इस बात पर सहमति हुई कि मुझे शीघ्र ही सम्भवत: आगामी मास के शुरू में ही नेपाल की यात्रा करनी चाहिए। इसी प्रकार बंगलादेश की प्रधानमंत्री के साथ मेरी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही। हमारे दोनों देशों के बीच संबंध काफी विकसित हुए हैं और हमने परस्पर सहयोग को बहुत मजबूत बनाया है। हमने जल बंटवारे से संबद्ध संधि की महत्वपूर्ण घटना की क्रियान्वयन की समीक्षा की जिसका क्रियान्वयन नदी में जल की अप्रत्याशित कमी के बावजूद पहले शुष्क मौसम में सफलातपूर्वक किया जा रहा है।

भारत के घनिष्ठ मित्र महामहिम भूटान नरेश से बातचीत के अवसर का मैंने स्वागत किया है। घर वापस लौटते हुए वे दिल्ली में रुके और इस दौरान उनसे बातचीत करने का मुझे और अवसर मिला।

इसी तरह श्रीलंका की महामान्य राष्ट्रपति के साथ संबंधों के पुन: नवीकरण को मैंने बहुत महत्व दिया। हमने कई मसलों पर विचार-विमर्श किया। आजादी के पचासवें वर्ष के अवसर पर अगले वर्ष श्रीलंका में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन की ओर हमारी नजरें लगी हुई हैं।

अन्त में मालदीव के महामहिम राष्ट्रपति श्री गयूम के साथ मेरी दोस्ताना बातचीत हुई। माले में भारतीय सहयोग की परियोजनाओं, एक अस्पताल और प्रशिक्षण केन्द्र, जो दोनों ही अच्छी तरह चल रहे हैं, का दौरा करके मुझे अत्यंत खुशी हुई।

मुझे आशा है कि इस संक्षिप्त वक्तव्य से यह स्पष्ट होगा कि इस क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे उत्कृष्ट संबंध हैं। जहां समस्याएं हैं, वहां हमने जो प्रक्रिया अपनाई है, मुझे विश्वास है कि उसके परिणाम भविष्य में अच्छे ही निकलेंगे।

पश्च टिप्पण

II. माले में हुए नौवें दक्षेस शिखर सम्मेलन के बारे में वक्तव्य, 16 मई, 1997

कोई टिप्पण नहीं।

बिहार में राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बारे में स्थगन प्रस्ताव

24 जुलाई, 1997

मैं आपका आभारी हूं। मैं विपक्ष के नेता का भी आभारी हूं कि उन्होंने सभा का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। मेरे विचार से एक बात पर हम सभी सहमत हैं, मैं "सभी" शब्द पर बल दे रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें तत्काल और दृढ़तापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहले दिन जब मैं विश्वास मत प्राप्त करते समय सभा में बोल रहा था तो मैंने तीन वायदे किए थे। मुझे प्रसन्नता है और मैं विपक्ष के नेता का आभारी हूं कि उन्होंने उन सब वायदों को दोहराया जो मैंने किए थे। मैं उन्हें फिर दोहराता हूं और उनकी पुष्टि करता हूं। "मैं विपक्ष के नेता का इस बात के लिए भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर अपने वायदों से मुकरने का आरोप नहीं लगाया है। आज मुख्य मुद्दा यह है कि सभा के समक्ष कौन सा प्रस्ताव है यह बात ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है"।

उन्होंने विस्तार से बिहार के बारे में कहा। उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है और मैं इस मामले पर बोलूंगा। मेरे विचार से इस मामले पर चर्चा करना और इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने अन्त में कही कि यह प्रस्ताव उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए पेश किया है। यदि यह इरादा था तो फिर यह प्रक्रिया नियमों के किसी अन्य नियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था न कि स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत जैसा मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने उल्लेख किया था।

किंतु उस मुद्दे पर मैं आपका समय नहीं लूंगा। महोदय जैसा आप जानते हैं मैंने अनेक बार कहा है और मैं पुन: कहता हूं कि अनेक कारणों से मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत आदर करता हूं। उनमें से एक कारण यह है कि वह बहुत सौम्य, संतुलित, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात हैं। इसलिए जब वह निष्क्रियता की बात करते हैं तो मेरे विचार से या तो इस शब्द के अनुवाद में कुछ गड़बड़ी है या अंग्रेजी की वजह से वह संभ्रमित हो गए हैं। मुख्य मुद्दा यही है कि जिस दिन से मैंने यह पद धारण किया है यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है–पहले ही दिन से मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति पर चाहे वह मंत्री हो या मुख्यमंत्री या कोई अन्य, भ्रष्टाचार का अभियोग लगाया गया है, उसे स्वेच्छा से पद त्याग देना चाहिए। मैंने यह जनता के बीच कहा है और जनता के बीच इसकी मांग की है। मैंने यह निजी तौर पर भी कहा है और मैंने अपना संदेश निजी तौर पर भी पहुंचाया है तथा मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहता है उसे स्वयं को संदेह से परे रखना चाहिए क्योंकि जब तक हम अपने

जीवन की सत्यनिष्ठा नहीं अपनाते तब तक जीवन कभी भी नहीं चल सकता है। मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूं कि विशेषरूप से स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में हम सभी को दृढ़ता से इस दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने आपत्ति जाहिर की और मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि मैं जनता से सहयोग के लिए क्यों कहता हूं। जो चुनाव लड़ते हैं, क्या यह सच नहीं है या क्या उन्हें नहीं पता कि लोग उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है? क्या लोग उन्हें नहीं बताते कि किसी नक्शे या प्लान या किसी चीज को स्वीकृत कराने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है? हर पुलिस स्टेशन में इस बावत शिकायतें दर्ज हैं। क्या वह नहीं जानते कि भ्रष्टाचार के कारण रोजमर्रा का जीवन दयनीय और दूभर हो गया है? क्या वह यह नहीं जानते हैं? यदि उस संदर्भ में मैंने जन सहयोग मांगा तो क्या कोई गलत काम किया? क्या आप मात्र राजनीतिज्ञों पर हमला करके भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सकते हैं? यह महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों को जो उच्च पदों पर आसीन है, हमारे लिए संदेह से परे रहना महत्वपूर्ण है। अन्यथा, हम लोकतंत्र नहीं चला पाएंगे। जो कुछ उन्होंने मुझे कहा मैं वह पूरी तरह दोहराता हूं कि सार्वजनिक जीवन सत्यनिष्ठा और नैतिकता के बिना नहीं चल सकता है। नैतिकता सदैव बहुत महत्वपूर्ण रही है और वही हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का सारतत्व है। गांधी जी सदैव साध्य और साधनों की बात करते थे और वे साध्य और साधन आज भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरे विचार से इस मुद्दे पर हम लोगों में मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से इस मुद्दे पर हमें संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। उन्होंने अभी मेरा ध्यान न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया और मुझे भी लगभग उन्हीं के साथ-साथ इस आशय का संदेश मिला है। यदि वह इसे नहीं भी पढ़ते तो भी मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका होता। मैं उन्हें यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम निश्चित तौर पर स्थिति का सामना करेंगे। आखिर केन्द्रीय सरकार की दो एजेंसियां हैं जिनके द्वारा इसका कामकाज चलता है।

जहां तक राज्यों का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) का अक्सर जिक्र होता है। सी.बी.आई. क्या है? सी.बी.आई. श्री लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चला रही है। क्या यह सत्य नहीं है कि सी.बी.आई. भारत सरकार की एजेंसी है? क्या यह सत्य नहीं है कि सी.बी.आई. की अपने कृत्यों के लिए रचनात्मक जिम्मेदारी है, और इस हिसाब से मैं इस सदन के प्रति जवाबदेह हूं। यदि ऐसा है तो निष्क्रियता कहां से आ गई? एक समय यह कहा गया कि सी.बी.आई. के कार्यकरण में कोई हस्तक्षेप न करे। यह सही है। हमने ऐसा नहीं किया है, और इसीलिए हमें ऐसा फल मिला है जैसा कि आप न्यायालय में देख चुके हैं। सी.बी.आई. एक बात का विरोध करती आई है जिसे कहते हैं।

*** *** ***[1]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनुभवी आदमी को राज्यपाल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके आचरण की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रमुख है और उस हैसियत से वही इसका निर्णय कर सकता है कि उसे क्या करना है, क्या कहना है। किसी बात की अनुमति देना, न देना, सरकार को बर्खास्त करना, न करना

उसके कार्यक्षेत्र की बातें हैं। मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि हमने कभी राज्यपाल को नहीं कहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी बात को सही अर्थ में लिया जाना चाहिए। इसलिए जब वह अनुमति देता है तो एक कानूनी मुद्दा उत्पन्न होता है, जोकि विधिक प्राधिकारियों द्वारा सलाह दिए जाने का है। यह तब की स्थिति है जब राज्यपाल अनुमति देता है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो मात्र विधिक स्थिति बता रहा हूं। महान्यायवादी द्वारा राज्यपाल को यह सलाह दी गई है, उसका कहना है कि, "मुकदमा चलाने की अनुमति देने में राज्यपाल अभियुक्त के अभियोग पर कोई निर्णय नहीं सुनाता। स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण आरोप के उल्लेख किसी शिकायत द्वारा किया जाता है और कोई बचाव अपेक्षित नहीं होता है"। वह किसी हरि राम मामले की बात कर रहे हैं जो ए.आई.आर., 1939 का है, मैं इसका ब्यौरा सभा पटल पर रख सकता हूं ताकि सभा में इस पर विचार हो सके। इसलिए आरोप यह है कि सत्य क्या है अथवा क्या सत्य नहीं है, इसका निर्णय न्यायालय करेगा।

अनुमति देते समय, राज्यपाल यह देखने के लिए केवल मुकदमा चलाने की अनुमति देता है कि क्या आरोपों का कोई आधार है ताकि अभियोगपक्ष मुकदमा लड़ सके। राज्यपाल की अनुमति की अनुपस्थिति में किसी लोक सेवक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आरोपी का दोष मात्र आपराधिक न्यायालय, जिसके अधिकारक्षेत्र में मामला हो, के विनिर्णय द्वारा ही निर्धारित होता है।

मेरा तात्पर्य किसी का बचाव करना नहीं है। मुझे यह नहीं कहना कि यह सही है या गलत। मैं सदन के माननीय सदस्यों को केवल यह बताना चाहता हूं कि आज सुबह विधिक प्राधिकारियों ने हमसे क्या कहा। मैंने उन्हें बुलाया और उनसे बात की कि राज्यपाल के मामले में क्या स्थिति है।

मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरा ध्यान श्री सी. सुब्रह्मणियम की बात की ओर दिलाया है। मैं भी वहां था और मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा था, "राज्यपाल को इसे सहर्ष वापस लेना चाहिए", उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात का न तो मैं बचाव कर सकता हूं न ही शिकायत। हममें से कोई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह निर्णय राज्यपाल को करना है कि क्या उनसे चूक हुई है अथवा नहीं। मैंने अपने एक साथी मंत्री के विरुद्ध अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह किया है, उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। मैंने उन्हें उसी दिन त्यागपत्र देने को कहा और श्री वर्मा ने त्यागपत्र दिया। वह सरकार में नहीं हैं। मैं जो कहता था वह किया। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने उस दिन अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह किया। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं दोहराता हूं कि जब तक हम नैतिकता का आचरण न करें तब तक विशेषकर लोकतंत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नैतिकता हमारे लिए आवश्यक है। अत: हमें सतर्क रहना है कि कोई हम पर उंगली न उठाए। मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं फिर कहूंगा कि हम सब के आचरण पर पूरी निगरानी है। इस सभा में अथवा विधानमंडलों में बैठे हुए हरेक सदस्य पर सबकी नजर रहती है। उन सब पर हर समय नजर रखी जाती है। इसीलिए इस तथ्य को ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने हमें निर्वाचित किया है अथवा जो हमें कल पुन: निर्वाचित करेंगे या नहीं करेंगे, वे हर समय हम पर निगरानी

रखते हैं। नि:सन्देह, यदि किसी में कोई कमी पाई जाती है तो अन्तत: जनता फैसला करती है। मैं अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहा हूं। मेरी कुछ जिम्मेदारी निहित है। किन्तु मैं अपनी जिम्मेदारी इससे अधिक मानता हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कानून का शासन बनाए रखूं।

मैं आशा करता हूं कि कोई भी मुझसे यह उम्मीद नहीं करता होगा कि मैं कानून के शासन का अतिक्रमण करूं। हमने एक बार इसी सभा में कानून के शासन का अतिक्रमण होते देखा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य मित्र कई महीनों से जेल में थे क्योंकि उन्होंने उस बड़े आदेश का अनुपालन नहीं किया था। मैं आदेशों द्वारा शासन करना नहीं चाहता। मैं सत्तावादी नहीं बनना चाहता। मैं अपने प्रभाव को बनाए रखना नहीं चाहता, मैं कानून के शासन की सत्ता अथवा अधिपत्य बनाए रखना चाहता हूं और हम यही कर रहे हैं।

यदि हम ही कानून के शासन का अनुपालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए मैं यह पूरी तरह समझता हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र कहां तक है और न्यायालय का कार्यक्षेत्र कहां तक है। मैं सोचता हूं यह प्रणाली बड़ी समझ बूझ के साथ बनाई गई है। संविधान इसका साक्षी है, इसका प्रमाण है। न्यायपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है। कार्यपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है और संसद का अपना कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया है। अत: हम इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं।

किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे मैं बार-बार कहूंगा, वह है सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम विश्वसनीय बने रहें। मैंने आपको विश्वास दिलाया है और आपको पुन: विश्वास दिला सकता हूं कि मैंने निजी और सरकारी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री को पद से हटने की सलाह दी है। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रश्न उठता है। मैं समझता हूं, मैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उपस्थित थे जब उनके दल के मुख्यमंत्रियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं किया जाए। वे बार-बार कह रहे थे कि अनुच्छेद 356 का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाए। वे बार-बार यही कह रहे थे। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब मेरे साथी, गृह मंत्री की अध्यक्षता में अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक हुई थी तब उन्होंने दो क्षेत्रों का चयन किया था और यह सहमति हुई थी कि बाहरी खतरे के समय अथवा जब आतंकवाद का खतरा हो और प्रशासन चरमरा गया हो, तब अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा क्षेत्र, जिस पर तीव्र मतभेद थे, धर्मनिरपेक्षवाद का प्रश्न था। हम सत्तापक्ष के सदस्यों का विश्वास है कि कोई राज्य सरकार जो धर्मनिरपेक्षवाद पर विश्वास नहीं करती है, उसे राष्ट्रपति शासन के अधीन रखना न्यायोचित होना चाहिए। किन्तु मैंने यह उस दिन भी लागू नहीं किया। श्री वाजपेयी और उनके सहयोगी भी वहां बैठे हुए थे और मैंने कहा था, ठीक है, हमें पुन: एक-दूसरे को मनाना चाहिए, हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। किन्तु मेरा पक्का विश्वास है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही भारत की एकता बनाए रखी जा सकती है। जब तक हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे, हम इस देश को एक नहीं रख सकते हैं। किन्तु कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब यह विश्वास करने की बात है। किन्तु हमारा इसमें दृढ़ विश्वास है। इसीलिए

हमने उस दिन कहा था कि अनुच्छेद 356 को केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और मैं वही पुन: कहना चाहता हूं।

मैं अधिक समय तक बोलने नहीं जा रहा हूं। इसलिए, जिस मुख्य मुद्दे को मैं दोहराना चाहूंगा जिसके संबंध में, मैं अपने सम्माननीय सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गई बात उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि निर्णय तत्काल लिए जाने चाहिए। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं। उनमें से कुछ ने उत्तर दिया है और कुछ ने उत्तर नहीं दिया है। उनमें से अधिकांश, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, वे आपकी पार्टी से सम्बन्धित हैं, मेरी पार्टी से नहीं। जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे विशेष न्यायालय स्थापित कर रहे हैं अथवा उन्होंने विशेष न्यायालय स्थापित कर लिए हैं, वे इस पक्ष से हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया उनसे कहिए, उन्हें बताइए, उनसे आग्रह करिए कि आप विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कार्यवाही करें ताकि विशेष न्यायालयों में उन मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके और हर एक कार्य शीघ्र हो सके।

अत: एक बात जो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें वैधता और नैतिकता में अंतर करना चाहिए। नैतिकता महत्वपूर्ण है किंतु वैधता तो पवित्र है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें से अवैधता की गंध आती हो। क्योंकि यदि इस सदन में ही यह होने लगेगा तो अन्य कौन कानून का समर्थन और पालन करेगा। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि हमारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सदैव इसे ध्यान में रखें।

एक अन्य मुद्दा जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, वह यह है कि लालू प्रसाद यादव के नाम आरोप-पत्र किसने जारी किया है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने। केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसके अधीन है? केन्द्र के अधीन है। भारत सरकार के किस विभाग के अधीन यह कार्य करता है? प्रधानमंत्री के कार्यालय के। यदि यह निष्क्रियता है तो सक्रियता क्या है, मैं नहीं जानता। यदि एक ऐसा विभाग जो कि सीधी मेरे अधीन है और जो न केवल आरोप-पत्र ही दाखिल करता है बल्कि अग्रिम जमानत का विरोध भी करता है तो यहां मेरी निष्क्रियता किस आधार पर और किस स्तर पर साबित होती है?

यह विभाग इस तरह कार्य करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों पर भी इस संबंध में आरोप लगाए गए हैं। मुझे इसकी भी व्याख्या करनी है। इस संबंध में भारत सरकार से अनुमति ले ली गई है। भारत सरकार ने जांच के दौरान यह पाया है कि दो अधिकारियों के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है। इसलिए अब यह निर्णय केन्द्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य पर निर्भर करता है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। अन्य दो अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं किंतु फिर भी कानून के नियमों को कायम रखते हुए मैंने इसे महान्यायवादी को सौंप दिया है। मैंने महान्यायवादी से यह परामर्श मांगा था कि सरकार इसकी अनुमति दें या न दें। विधि मंत्री ने कहा है कि यह विचाराधीन है। इसलिए मैं केवल

इतना ही कहूंगा कि इस तरह की परिस्थितियों में हमें राजनीति का खेल नहीं खेलना चाहिए। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपने सही कहा कि यह जनता के भविष्य का मुद्दा है। यदि हम एक साफ-सुथरा सार्वजनिक जीवन चाहते हैं तो इस विषय पर हमें एकमत होकर आवाज बुलंद करनी होगी। मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूं। मेरी भाषा कोमल या कठोर हो सकती है किंतु मेरा निश्चय दृढ़ है। मैंने पहले भी आपसे यह वायदा किया था और मैं इसे फिर दोहराता हूं।

इस समय मेरे एक मित्र ने मेरा ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हाल ही के निर्णय की ओर दिलाया है जिसके फलस्वरूप एक नई स्थिति पैदा हो गई है।

*** *** ***[2]

अंत में मैं कहूंगा कि यदि मैं उस निर्णय से पहले बोला होता जिसके बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे तो मैं यही कहता कि इस संबंध में दो या तीन विकल्प सदैव होने चाहिए। एक नैतिकता की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करते हुए इसके लिए प्रेरित करना। यदि हमारी पार्टी उसी तरह से कार्य करती है जैसे कि इसे करना चाहिए। जो कि दुर्भाग्यवश इस तरह से कार्य नहीं कर रही तो पार्टी से आंतरिक दबाव भी डलवाया जा सकता है। दूसरा है, अभियुक्त स्वयं ही यह अनुभव करे कि पद त्याग करना उसके अपने हित में भी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, अग्रिम जमानत के नामंजूर होने से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार इस मामले की पूरी जानकारी लेकर इसमें हस्तक्षेप करेगी। किंतु वह जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं करेगी क्योंकि हमें यह भी देखना है कि वैधता सुरक्षित रहे और कानून और नियमों का पालन हो।

अंत में अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तीन बातों के लिए वचनबद्ध हूं जो कि मैंने अपना पद सम्भालने के समय कही थी। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी दल का हो, हम माफ नहीं करेंगे। हम सदैव स्पष्टवादी, साफ और सच्चे रहेंगे। पारदर्शिता के लिए हमने कुछ और कदम भी उठाए हैं। पिछले दिनों सरकार पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी आदि के कई आरोप लगते रहे हैं। मैं एक ऐसे स्वतंत्र तंत्र की स्थापना भी कर रहा हूं जो कि यह देखे कि सभी महत्वपूर्ण खरीद इस पारदर्शी तंत्र से अवश्य निकलें अर्थात् सरकार की पूरी निगरानी में ही महत्वपूर्ण वस्तुएं क्रय की जाएं। मैं ऐसे तंत्र की स्थापना भी करने जा रहा हूं जो यह देखे कि कोई भी वस्तु विशेषकर बड़े उपकरण जो भारत में ही क्रय किए जाएं या फिर विदेशों से आयात किए जाएं, उस पर सरकार की कड़ी निगरानी हो जिससे कि ईमानदारी और सच्चाई बनी रहे।

मैंने एक और बात कही थी और मैं उसे पुन: कहता हूं कि मैं विच-हंटिग अर्थात् संदिग्ध व्यक्तियों को खोजना या सरगर्मी से उनकी तलाश करने के विरुद्ध हूं। आप जानते हैं हवाला केस में क्या हुआ। मैं नहीं जानता कि आप इसे विच हंटिग के रूप में लेते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता कि आप इसके पक्ष में हैं या विरोध करते हैं किंतु मैं एक वायदा करता हूं कि

मैं कानूनी नियमों का समर्थन तथा पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। चाहे वह कोई व्यक्ति हो तथा किसी भी दल से सम्बद्ध हो, ऐसे व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो ईमानदारी, नैतिकता और उन उच्च मूल्यों का सम्मान नहीं करते जिसके लिए इस देश ने संघर्ष किया और अंतत: अपने आप को आजाद कराया।

पश्च टिप्पण

III. बिहार में राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बारे में स्थगन प्रस्ताव, 24 जुलाई, 1997

1. **एक माननीय सदस्य** : जमानत देना।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कभी कभार विधिक शब्द मेरे ध्यान में नहीं आते और मैं गैर-विधिक शब्दों का प्रयोग करने लगता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कई चीजें विधि के अनुरूप नहीं हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अवैध नहीं, गैर-विधिक।

2. **श्री नीतीश कुमार** : वारंट इश्यू हो गया है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है। आप हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हैं, मुझे मालूम है, लालू जी के साथ आपका पर्सनल वंडेट्टा है। लालू प्रसाद आप पर मेहरबान थे। हमें मालूम है, लालू आप पर मेहरबान थे, लालू आपके गाइड थे, लालू आपके फिलास्फर थे, आपके जिगरी थे। आप इतने परेशान क्यों होते हैं।

श्री नीतीश कुमार : प्रधानमंत्री जी, आपको यह शोभा नहीं दे रहा है। आप वहां किस स्थिति में थे, आपको मालूम है। आपको यह शोभा नहीं दे रहा है। आप वहां से किस तरह से इलैक्ट होकर आए हैं, अगर यह बात हम बता दें, तो क्या ठीक रहेगा। आप राज्य सभा में किस तरह से वहां से चुनकर आए हैं, यह आपको मालूम है। अगर यह सब हम यहीं बता दें, तो आपको कैसा लगेगा।

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनकी बात मान रहे हैं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुख्य बात जो मैं कह रहा था कि एक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : गुजराल साहब आपको लालू प्रसाद यादव की जरूरत हो सकती है, मुझे नहीं है।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करने और व्यवधान डालने की उनकी पुरानी आदत है।

सभापति महोदय : कल भी आपने ऐसा ही किया था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, आप बीच में टोकना आरंभ कर देते हैं। यह सही नहीं है। वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। जब वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं कहना चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने हम पर आरोप लगाए हैं।

सभापति महोदय : क्या आरोप लगाया है?

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया इस तरह की बात मत कीजिए। कल भी आपने यही किया था।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सर,... सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : सर दुर्योधन के सामने ये द्रोणाचार्य बन कर रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, श्री नीतीश कुमार जी

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन ने जो असंसदीय शब्द इस्तेमाल किए हैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, नीतीश कुमार मेरे पुराने मित्र हैं और मुझे उनसे लगाव है। मैंने जो कुछ भी कहा दोस्ती की भावना से कहा। मैं उन्हें पसंद भी करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : आप उसको विदड्रा कर लें।,

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : ठीक है।

श्री नीतीश कुमार : धन्यवाद।

नागालैंड शान्ति वार्ता के बारे में वक्तव्य

25 जुलाई, 1997

इस सम्माननीय सभा को नागालैण्ड में विद्रोह के इतिहास की जानकारी है।

विभिन्न नागा ग्रुपों का आपस में तथा राज्य प्राधिकारियों के बीच हुई भाई-भाई की हत्या संबंधी मुठभेड़ों के कारण जनजीवन की हानि हुई है, लोक व्यवस्था बिगड़ी है तथा राज्य का आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है। लोग हिंसा से तंग आ गए हैं तथा वे शांति चाहते हैं।

पदधारण करने के तुरंत पश्चात् मैंने पूर्वोत्तर में नागालैंड तथा अन्य राज्यों का दौरा किया था। मैंने भूमिगत तत्वों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता करने की सरकार की मंशा दोहराई थी। नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद् के इसाक-मुलवाह ग्रुप के साथ हुई वार्ताओं में 1 अगस्त, 1997 से तीन महीने के लिए अब युद्धविराम करने तथा राजनैतिक स्तरों पर चर्चाएं शुरू करने की सहमति हो गई है।

सरकार उन अन्य विद्रोही नागा ग्रुपों के सम्पर्क में भी है जो अपनी गतिविधियां समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं।

पश्च टिप्पण

IV. नागालैंड शान्ति वार्ता के बारे में वक्तव्य, 25 जुलाई, 1997

कोई टिप्पण नहीं।

जम्मू और कश्मीर में दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण

28 जुलाई, 1997

*** *** ***[1]

इस मुद्दे पर बोलने से पहले मैं अपने मित्र द्वारा की गई इस टिप्पणी का प्रबल विरोध करता हूं कि मैंने सुबह कुछ बयान दिया और शाम को कुछ और बयान दिया। मैं प्रत्येक मुद्दे के संबंध में दिए गए अपने वक्तव्य पर हमेशा दृढ़ रहा हूं और सदैव ही दृढ़ रहूंगा और अब हम इस मुद्दे पर आते हैं।

मैं दो दिन के लिए कश्मीर गया था। इस दौरे के दौरान मुझे न केवल उस नई रेल लाइन की आधारशिला रखने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसे हम स्वयं ही घाटी में काजीकुंड से बारामूला तक रेल लाइन बिछाने जा रहे हैं। हमारा विचार यह था कि एक दिशा में ऊधमपुर से होकर जाने वाली रेल लाइन स्वाभाविक रूप से दूसरे क्षेत्र से निकलेगी और इसमें अधिक समय लग रहा है। इसी बीच हमने महसूस किया कि यदि हम साथ ही साथ घाटी में भी रेल लाइन बिछाएं तो रेल लाइन बिछाने के कार्य में और तेजी आएगी और यह उपयोगी रहेगा। बाद में इसे सुरंग के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा।

रेल लाइन बिछाकर वहां अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाएगा। अत: इस वर्ष हमने घाटी में निर्माण कार्य हेतु लगभग 75 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है।

इन दो कार्यों के अतिरिक्त मुझे सेना के जवानों, उनके लीडरों, सीमा सुरक्षा बल के जवानों और उनके लीडरों को सम्बोधित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। मैंने ये चार कार्य किए थे। कश्मीर में क्या स्थिति है? आज कश्मीर में जो स्थिति है हमने उसमें सुधार किया है। ऐसा नहीं है कि विद्रोह समाप्त हो गया है परन्तु कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही सरकारें इस विद्रोह पर काबू पाने में सफल हो सकी हैं। इसी तरह सीमा-पार से विद्रोह जारी है और भारी संख्या में हथियार पकड़े गए हैं। मैंने उन हथियारों के दो संग्रह देखे हैं जो बहुत ही बड़े और अत्याधुनिक हैं। मैंने समय-समय पर हुई अनेक झड़पों के आंकड़े भी देखे हैं। मैं इसका श्रेय अपने सशस्त्र बलों और साथ ही सीमा सुरक्षा बल और अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों को देता हूं जो बहुत ही दृढ़ता और दक्षता के साथ हमारी सुरक्षा कर रहें हैं। इसके साथ हमने पिछले तीन-चार महीनों में देखा है कि सीमा-पार

से लगातार गोलीबारी हो रही है और मेरे मित्र रक्षा मंत्री जी, हमें इस बारे में और अधिक जानकारी देंगे। इस गोलीबारी का दृढ़तापूर्वक विरोध किया जा रहा है।

हमारी नीति का दूसरा आयाम भी है। न केवल यह सरकार बल्कि पूर्व सरकार भी मार्ग से विचलित हुए युवकों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही है। मेरा विश्वास है कि ये युवक भारत के विरुद्ध झूठा प्रचार होने से पथभ्रष्ट हो गए हैं। उनमें से कुछ वापस आ गए हैं और उनमें से कुछ को विभिन्न सेवाओं में भी खपा लिया गया है। जो बात मैं कह रहा था उसे वस्तुत: स्पष्ट कर दिया गया है और विमान में साक्षात्कार के दौरान जो स्पष्टीकरण मांगा गया था, वह मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स को भेज दिया है। मुख्य बात यह है कि हम सदैव उन युवकों से बात करने के इच्छुक रहे हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं और पथभ्रष्ट हो गए हैं। नि:संदेह इसका यह अर्थ है कि उन्हें हथियारों का त्याग करके वापस अपने घर की ओर आना चाहिए। मैं सही शब्द का प्रयोग करूंगा। जब मैं युवा बच्चों से पिता की तरह बात कर रहा था तो मेरे मित्र उस समय वहां उपस्थित थे, यदि किसी परिवार में लड़के पथभ्रष्ट हो जाते हैं अथवा मार्ग से विचलित हो जाते हैं तो परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन्हें वापस बुला लूं, उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करूं। मैं उस पर कायम हूं। मैंने अपने दोनों भाषणों में यही कहा है इसे सौभाग्य कहा जाए, अथवा दुर्भाग्य मैं विशेष रूप से काजीकुंड में उर्दू में बोल रहा था। मुझे उर्दू की अच्छी जानकारी है। अत: मैं शुद्ध उर्दू में बोल रहा था। संभवत: मेरे बहुत से मित्र उर्दू नहीं जानते हैं। अत: जब मैं उन लड़कों के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने सोचा कि मैं सीमा-पार के आतंकवादियों के बारे में बात कर रहा था अथवा उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। नहीं, बिल्कुल नहीं।

मेरे दिमाग में दो बातें पूर्णतया स्पष्ट हैं। पहले दिन और जब कभी भी मैंने सदन में भाषण दिया तो मैंने एक बात स्पष्ट कर दी थी। भारत का सर्वधर्म समभाव और साथ ही भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है। सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अंग है और सदैव ही भारत का अंग बना रहेगा। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए इसका कोई कारण नहीं है कि मैं उसके बारे में कहूं और मुझे आश्चर्य हुआ था कि मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो इतने सुलझे हुए राजनयिक हैं उन्हें तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही जल्दबाजी में मेरी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी जिसका मुझे बहुत ही खेद है क्योंकि मैं उनकी वरिष्ठता का बहुत ही सम्मान करता हूं। परन्तु मैं केवल यही कहूंगा और सभा को पुन: आश्वस्त करता हूं कि कोई भी नीति संबंधी वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह भारत सरकार की नीति रही है। सिर्फ मेरी सरकार की नहीं, बल्कि इससे पहले की सरकारों की भी यही नीति रही है। यहां तक कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए सत्ता में आए थे तो उसी नीति का अनुसरण किया गया था।

मैं इस पर अपनी राय नहीं दूंगा। परन्तु मैं केवल यह बात कहूंगा। इस सभा में मुझे यह कहने दिया जाए कि जब मैं यह कहता हूं कि भारत में सरकार है, जम्मू और कश्मीर में सरकार है, तो मैं महसूस करता हूं कि मैं इस सदन का प्रतिनिधित्व करता हूं। दोनों सरकारें यह चाहती हैं कि मार्ग से विचलित युवक वापस आएं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में वे अपना स्थान तलाश करें। हमारी प्रबल अभिलाषा है कि उनके राज्य में शताब्दियों से चले आ रहे अंतर–साम्प्रदायिक संबंध उसी रूप में कायम रहें। हम चाहते हैं कि कश्मीर का जीवन जिस पर वह गर्व किया करता था, उसी रूप में वापस आए। हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इन युवकों की चर्चा का संबंध है, उनके बारे में हर समय चर्चा की जा रही है और यही कारण है कि इनमें से कुछ युवक वापस आ गए हैं।

*** *** ***[2]

पश्च टिप्पण

V. जम्मू और कश्मीर में दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण, 28 जुलाई, 1997

1. **श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गहरी चिंता भी व्यक्त करना चाहूंगा और आपत्ति भी और केवल मेरी निजी आपत्ति नहीं है बल्कि दल की आपत्ति भी मैं व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चंद ही महीनों के कार्यकाल में बात कहकर उससे मुकर जाना, उसका अनुभव हम कर चुके हैं। कई बातों पर हम अनुभव कर चुके हैं, परंतु जब माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय हितों की मूल बातों पर बयान दें और संसद के चलते हुए नीतिगत बयान दें तथा वे बयान इतने आपत्तिजनक हों और फिर उनसे मुकर जाया जाए तो उस पर टिप्पणी किए बिना या आपत्ति प्रकट किए बिना नहीं रहा जा सकता। मुझे स्पष्ट रूप से दो बातों का उल्लेख करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल के कश्मीर घाटी के दौरे के वक्त जहां रेलगाड़ी का नाम नहीं है, लेकिन पत्थर जरूर डाल दिए गए हैं। अभी हाल में वहां कश्मीर घाटी के दौरे के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन बयान दिया कि हम बिना किसी शर्त के बात करने को तैयार हैं। दूसरे दिन इसके विपरीत अखबारों में खबर छप रही है। यह बयान अपने–आप में इतना महत्वपूर्ण है। संसद का एक निर्विवाद प्रस्ताव है बिना शर्त बात किससे करनी है क्या वहां जो अफगान पहुंचे हुए हैं उनसे करनी हैं या सुडान से जो आए हैं, उनसे करनी है या जो विदेशी ताकतें आई हुई हैं, उनसे करनी है? दूसरे दिन पहले बयान से मुकर जाते हैं और अखबारों में कुछ और छपता है। इसी संदर्भ में मैं यह बताना अपना फर्ज समझता हूं कि हमारी पार्टी देश में शांति चाहती है, सब प्रदेशों में शांति रहे, उसका विरोध नहीं करती है, लेकिन नागालैंड को लेकर विचित्र बातें आ रही हैं। देश की शांति का निर्णय युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, वहां किसी की पहल से हो, तो हम उसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, जिसका उल्लेख करना संसद में प्रधानमंत्री जी आवश्यक नहीं समझते हों, लेकिन इस किस्म के बयान आ रहे हैं। बाकी सांसद इस बात से सहमत हों या न हों, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन दोनों मसलों के बारे में आदेश दें कि प्रधानमंत्री जी आकर स्पष्टीकरण कर दें।

   मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, चूंकि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के बल पर टिके हुए हैं, विशेषकर कश्मीर और नागालैंड के प्रश्न पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया या नहीं किया या जो बयान दिए गए हैं, हम इस बात को कहने में अपना कर्तव्य समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी स्पष्टीकरण दे कि क्या वे प्रधानमंत्री जी से इस नीतिगत ब्यान से सहमत हैं या नहीं? यहीं दो बातें आपसे निवेदन करनी थी।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी जसवंत सिंह जी ने कहा है, अपने देश में और बाहर से भी, वे बहुत आपत्तिजनक है और देश के भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत

देते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन बाहर से खबरें आई हैं कि कोई विदेशी राज्य या सत्ता हमें इंगित करती है कि कौन सी दिशा अपनाई जानी चाहिए और हमारी सरकार उस पर मौन रह जाए, इससे बड़ी अशोभनीय बात कोई और नहीं होगी। मैं याद करूं, पुराने समय में जब आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही थी, तब मैंने कहा था कि अगर आर्थिक नीतियों में हम हस्तक्षेप सहन करेंगे, तो राजनीतिक हस्तक्षेप सहन करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि इतने भौंडे ढंग से यह राजनीतिक हस्तक्षेप इस देश में होगा। एक विशिष्ट देश के दूत को निरन्तर छूट दी गई कि वह कश्मीर में जाए और वहां जाकर न केवल लोगों से बात करे, बल्कि उस देश के विदेश विभाग ने लगातार खबर दी है कि हम भारत सरकार को यह सलाह दे रहे हैं कि कश्मीर के मसले पर वह किस तरह से कदम बढ़ाए – इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई और नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री हमारे मित्र हैं।

प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य एक दिन दें और दूसरे दिन उसको बदल दें, वह भी तब जब सदन चल रहा हो, तो इससे अशोभनीय बात कोई और नहीं हो सकती है।

मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जसवंत सिंह या उनकी ही पार्टी नहीं, मैं समझता हूं कि देश का सारा प्रबुद्ध वर्ग इससे चिंतित है। मुझे विश्वास है, सोमनाथ जी को मुझसे ज्यादा ही कुछ चिंता होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुझे उनकी टिप्पणियों का उत्तर देना है। निःसंदेह, मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस पूरे मामले में अथवा प्रत्येक मामले में विवेक से काम लेती है। हमने यह दिखा दिया है कि आज की स्थिति में किस प्रकार ईमानदारी और नैतिकता से कार्य किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा संबंध है, हम कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई समझौता करने का प्रश्न ही नहीं है। हमने देखा है कि वहां स्थिति को सामान्य बनाने के लिये केवल पिछले और वर्तमान प्रधानमंत्री ने ही कुछ कदम उठाये हैं। वहां लम्बे समय से विवादों और संकट की स्थिति रही है। मैं इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता। हम प्रधानमंत्री के वहां स्थिति को सामान्य बनाने और कुछ गुमराह लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाने के किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। लेकिन, चूंकि चन्द्रशेखर और जसवंत सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में बहुत प्रश्न किये हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिये यह उचित होगा कि वे इस सभा में आयें और यह स्पष्ट करें कि वे क्या कहना चाहते थे इस बारे में उनकी क्या नीति है और उन्होंने वहां क्या कहा था।

अतः मैं, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यहां आयें और इस संबंध में सभा में स्पष्टीकरण दें। मुझे पूरा यकीन है कि जहां तक भारत और इस देश के उस भाग तथा अन्य भागों

के साथ संबंधों का प्रश्न है वे इस बारे में कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। वहां स्थिति को सामान्य बनाने के सभी प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिये। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहें, 'जी हां, पहले दिन कुछ और बात कहीं गई थी और आज कुछ और बात कही गयी हैं'। हम सदैव ही समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। अतः, यह बेहतर होगा कि माननीय प्रधानमंत्री यहां आयें और स्थिति स्पष्ट करें।

श्री शरद पवार (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी, श्री सोमनाथ चटर्जी के विचारों से सहमत हूं। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर दो राय नहीं हैं। इस माननीय सदन में अनेक अवसरों पर इस मुद्दे पर अधिकांश राजनैतिक दलों में एक ही राय रही है। पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के किसी भी प्रयास का स्वागत है। जम्मू और कश्मीर से स्थिति में सुधार के प्रयास का भी स्वागत है। लेकिन, कुछ दिनों में समाचारपत्रों में अनेक वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहां तक सत्य हैं और सही स्थिति क्या है। ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब देश के कुछ विशिष्ट प्रतिनिधियों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और वहां के अनेक लोगों के साथ बातचीत करके कुछ सुझाव दिये हैं। मेरे पास इस बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। अतः, मैं सोचता हूं कि संसद का सत्र चल रहा है और यदि इस समय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर वक्तव्य दें तो यह निश्चित रूप से बेहतर होगा। देश को इन तमाम बातों का पता होना चाहिये।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : महोदय

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी तरफ से तो जसवंत सिंह जी बोल चुके हैं, कोई खास बात रह गई हो तो बताइए।

श्री चमन लाल गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने वहां पर मुख्य चार फंक्शंस अटेंड किए। उन्होंने तीन में यही स्टेटमेंट दोहराया कि मैं अनकंडीशनल बातचीत करना चाहता हूं और चौथे में आकर यह बात कही गई कि जब तक वे आर्म्स नहीं छोड़ेंगे तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा। जहां तक शरद जी ने या चटर्जी जी ने जिस बात को कहा कि कश्मीर के हालात नार्मल होने चाहिए, इसमें हर पार्टी प्रधानमंत्री जी का सहयोग देना चाहती है। परन्तु एक बात को ध्यान रखिए कि वहां पर एक इलैक्टेड गवर्नमेंट है, आपने वहां पर एक गवर्नमेंट चुनी है। मैंने वहां पर कुछ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की है उन सब का कहना है कि हमारी प्रसेप्शन, उनकी प्रसेप्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रसेप्शन में जमीन–आसमान का अंतर है। वे उन अल्ट्रास के साथ एक तरीके से डील करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे तरीके से डील कर रही है। इसी कंफ्यूजन से हमारी कश्मीर प्रॉब्लम आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आ गए हैं वह कम से कम हाउस को कांफीडेंस में लें, क्लियर करें कि दोनों गवर्नमेंट्स एक ट्यून पर काम करें। वहां की जो मिलीटेंसी है, जिस तरह से वहां पर उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आर्म्ड फोर्सेस और सिक्युरिटी फोर्सेस ने अपना

कितना खून बहा कर सिचुएशन के अंदर आज थोड़ी सी नार्मलसी लाई है तो उसको हम एक बार फिर से बढ़ावा न दे दें, यह मैं इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री विजय गोयल (सदर–दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे कुछ कहने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, एस्टेब्लीश कंवेंशन है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा हो, कोई पालिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट के बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्लेरीफाई करें कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : आप मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैं प्रधानमंत्री जी को बुला चुका हूं।

श्री मंगत राम शर्मा : मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कह लीजिए क्या कहना है। गुजराल साहब, इनको जरा कह लेने दीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर–पश्चिम) : महोदय इस विषय पर मैं प्रारंभ से ही अपना हाथ उठा रहा हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से भी कोई भी नहीं बोला ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से भी नहीं बोला।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाब, सबसे पहले कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री ने और उसके बाद जो दो सरकारें हमारी सपोर्ट से आई, उन्होंने जम्मू–कश्मीर में इनीशियेटिव लिया। उन्होंने वहां के लिए इकोनामिक पैकेज दिया। वहां हालात नॉर्मल करने के लिए जो दिलचस्पी ली जा रही है, उसकी मैं सराहना करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसकी सराहना होनी चाहिए।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि प्रधानमंत्री जी ने लास्ट में जो बयान दिया, उसे वह क्लेरिफाई करें। उन्होंने कहा कि जो लोकल मिलिटेंट्स हथियार छोड़कर बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं और मेनस्ट्रीम में आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट उनसे बातचीत के लिए तैयार है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बात सराहना के काबिल है। जो अपनी स्टेट के लोग हैं, उनसे जरूर बातचीत होनी चाहिए और हालात को नॉर्मल करना चाहिए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस बात को मानना पड़ेगा कि मिलिटेंसी के जो तीन जिले हैं

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस बात को छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री खुद क्लैरिफाई करेंगे।

श्री मंगत राम शर्मा : मैं प्वाइंट रखूंगा तो वह क्लैरिफाई करेंगे। अगर मैं प्वाइंट्स ही नहीं रखूंगा तो वह उनको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? मुझे दो बातें कहने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पर चर्चा हो रही है।

मंगत राम शर्मा : मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिए। इससे मेरी बात का जवाब आ जाएगा। तीन जिले, पूंछ, राजौरी और कारगिल से मिलिटेंसी ज्यादा बढ़ी है। देवेगौड़ा जी ने पैकेज प्रोग्राम की जो घोषणा की थी, उनमें से जम्मू की आईटम्स पर अमल नहीं हो रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बात हो गई है।

श्री मंगत राम शर्मा : जम्मू में पैकेज प्रोग्राम की आईटम्स पर क्या अमल हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। बात हो गई है। अब आप बैठ जाइए।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, श्री जसवंत सिंह ने इस सभा में जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। दूसरे, पिछले 1½वर्ष से हमारा यह अनुभव रहा है कि हम बहुधा जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करते आए हैं। यह अच्छा संकेत है कि हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और देश के इस भाग में अर्थात् जम्मू और कश्मीर में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जब हम कुछ शर्तें रखें और इन्हीं शर्तों के अंतर्गत हम वहां के लोगों के साथ बातचीत करें, तो मैं उसे समझ सकता हूं।

परन्तु वे लोग हमारी भूमि और सम्पत्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं और गोली–बारी करके लोगों को मार रहे हैं। भारत सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि वह किसके साथ वार्ता करने जा रही है और अंततोगत्वा भारत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। इतना ही नहीं, इस नीति में इन सभी अपराधियों, उग्रवादियों और जम्मू कश्मीर में अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों को भारत सरकार का संदेश भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह संदेश स्पष्ट होना चाहिए। इस मामले में मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपनी नीति स्पष्ट करें।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जसवंत सिंह जी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री चन्द्रशेखर और श्री शरद पवार जी की बातों पर सहमति प्रकट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ इस मामले में नहीं, दूसरे मामलों में भी सुबह एक बयान देते हैं और शाम को दूसरा बयान देते हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है?

श्री इलियास आजमी : मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब कश्मीर में उन्होंने बयान दिया कि हम बिना शर्त उग्रवादियों से बातचीत के लिए तैयार हैं तो क्या किसी उग्रवादी संगठन ने उनसे बिना शर्त बातचीत करने की पेशकश की थी? उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही लेकिन दिल्ली में आकर उलट गए। वह इसको भी क्लैरिफाई करें।

2. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप साधारण उर्दू में बोलें। यदि आप ठेठ उर्दू में बोलेंगे तो वे आपकी बात नहीं समझेंगे।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही और आपका जो टेलीविज़न पर स्टेटमेंट आया है और जो बात आपने हाउस में कही, दोनों कंट्राडिक्ट्री हैं। टेलीविज़न पर साढ़े आठ के बुलेटिन में था कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि उग्रवादियों के साथ बिना शर्त बात करने को तैयार हैं और उसी बुलेटिन में बाद में जो न्यूज पढ़ रहा था, उसने कहा कि अभी-अभी प्राप्त समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री ने बाद में यह बात कही है कि जब तक वे हथियार नहीं डालेंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। दोनों में से कौन-सी बात सही है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : देखिए, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप बहस के लिए बहस करना चाहते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हिन्दुस्तान की सिक्युरिटी, हिन्दुस्तान का डिफेंस किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है और मैं उसके ऊपर कंसीड भी नहीं कर सकता और न कोई कंप्रोमाइज कर सकता हूं न ही कोई सरकार कर सकती है। अगर कोई अखबार वाला या अखबार पढ़ने वाला.....

श्री सत्य पाल जैन : टी.वी. में ऐसा ही था।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : टी.वी. पर मेरी मोनोपोली नहीं है। मैं खबरें खुद नहीं पढ़ता। यह कोई बात है करने की?

श्री सत्य पाल जैन : आप उसकी जांच करा लीजिए। सारा हिंदुस्तान सुनता है, आप उस दिन के बुलेटिन को निकालकर देखिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं बिल्कुल यह कह रहा हूं और पूरी शक्ति से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में एकता रहेगी। कोई धर्म के नाम पर इसको तोड़ने की कोशिश करे तो भी तोड़ने नहीं देंगे।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : देखिए आपके लोग पढ़ते हैं, उसका क्या अर्थ है, मुझे समझ में नहीं आता। आजकल दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री इतनी बार आते हैं कि वह खुद न्यूज रीडर लगने लगे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इनसे यह कहने लगा हूं कि ये जो लोग धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री अकारण, अनावश्यक उत्तेजित हो रहे हैं। उनके बयान जिस तरह से छपे और जिस तरह से टेलीविज़न में रिपोर्ट हुए, आखिर आपके बारे में जो बयान आते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि बयान ठीक होंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपको आखिरी बयान भी पढ़ना चाहिए जो ऑन रिकार्ड है, अगर पढ़ लेते तो आप उसे समझ भी लेते।

श्री सत्य पाल जैन : दूरदर्शन में आपका कभी कुछ बयान आता हैं और कभी कुछ आता है, यही हमारा आरोप है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर पहले बयान में और आखिरी बयान में अंतर है तो लोगों के मन में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : लोगों के मन में होने दो लेकिन आप जैसे लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, आप समझदार आदमी हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं, वह कह रहे हैं कि मेरे मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए जो किसी के मन में भ्रम पैदा करे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसीलिए आपको बयान देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब अगर सारा ध्यान हमको ही रखना है तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मेरा सुझाव है कि इस मामले को समाप्त समझा जाए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जनाब, आप यह देशभक्ति मुझे मत सिखाइए, मुझे देशभक्ति का पूरा ज्ञान है।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि जरा गुस्सा कम करें। क्योंकि यह उनको शोभा नहीं देता। पहली बात मैं कहूं, मैं इस बात में पड़ना नहीं चाहता था। बड़ा गुस्सा आता है, यह धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, उसमें हम भी उनके कम विरोधी नहीं हैं। लेकिन धर्म के नाम पर यह देश नहीं टूटेगा। लेकिन देश को तोड़ने के लिए बाहर से जो बयान आते हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी आपका एक दिन भी गुस्सा मैंने नहीं देखा, पिछले दो महीनों में कितने बयान आए हैं? क्या भारत सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि उन बयानों का खंडन करें? गुस्सा यहां

अटल बिहारी जी पर करने से पहले श्रीमान प्रधानमंत्री जी थोड़ा अपने पर गुस्सा करना सीखिए कि बाहर की ताकतें भारत के बारे में अनाप-शनाप बयान देती हैं और आपकी सरकार मौन रह जाती है, तो देश में ही नहीं दुनिया में भी आपके बारे में भ्रम पैदा होता है। इस गुस्से से भ्रम नहीं मिटने वाला है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्रशेखर जी का बहुत आदर करता हूं। वे मेरे पुराने मित्र भी हैं। बाहर से ऐसे कौन से बयान आए हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया है। कोई भी एक बयान बताइए, जिसका जवाब नहीं दिया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : रूडी जी, आप बैठिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : चाहे कोई भी हो, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, वह चाहे देश के अंदर से हो चाहे बाहर से हो, उसका पूरे जोर से जवाब देंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कोई भी हो, लेकिन बी.जे.पी. तोड़ने वाली नहीं होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में उनके अलग-अलग तरह के बयानों से भ्रम पैदा हुआ है और अगर यह मामला सदन में उठाया जा रहा है, तो यह उन्हें अवसर देता है कि वे स्थिति का स्पष्टीकरण करें। आप, स्पष्टीकरण देने के बजाए, हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम पर आप धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वह आरोप निराधार है, शरारतपूर्ण है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : क्या बाबरी मस्जिद ऐसे ही टूट गई?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रधानमंत्री देश को तोड़ने की बात कर रहे थे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात कह रहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर आ गए हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : बाबरी मस्जिद को तोड़ना इस बात का चिह्न था कि देश को तोड़ना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अब यदि यह बहस और आगे चलेगी, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सारा संयम छोड़कर ऐसी बातें कह देंगे जो उनके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। अगर आपको बाबरी मस्जिद पर बहस करवानी है, तो हम तैयार हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हो जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर जम्मू कश्मीर के बारे में इस सदन में एक प्रस्ताव पास किया गया और प्रधानमंत्री जी ने भी माना कि वे उससे बंधे हुए हैं। हर सरकार उससे बंधी हुई है। उनका पहला, जैसा बयान आया, बिना शर्त बात को तैयार हैं, अब स्वाभाविक है।

अब बैठे रहिए, ज्यादा टोकिए मत। क्योंकि अगर आप इस तरह से टोकेंगे, तो फिर हम भी टोकेंगे और इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आपको सुनने का भी धैर्य होना चाहिए।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : आपको भी गुस्सा नहीं आना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अब अगर समाचार समितियां या टेलीविज़न, प्रधानमंत्री के दो अलग-अलग बयानों को रिपोर्ट करते हैं, सारे देशवासी सुनते हैं, तो क्या मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक नहीं है कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। आपका जो बाद का बयान आया, वह ठीक आया। लेकिन इससे यह बात साबित हो गई कि जो पहले का बयान था वह गलत था और आपका बाद का जो बयान आया वह ठीक था। आखिर बिना शर्त उन लोगों के साथ कैसे वार्ता हो सकती है जो हथियार के बल पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो कश्मीर को भारत से बाहर लाना चाहते हैं, जो विदेशों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ तो बिना शर्त बातचीत का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री इतनी ही बात कहते और इधर-उधर की गुफ्तगू न करते, तो इतनी गर्मी पैदा नहीं होती। अब देखते है कि आप कितने ठंडे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि मामले को स्पष्ट कर दिया गया है और इसे समाप्त समझा जाए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : लेकिन अब ठीक हो गया है।

मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि हम एक दूसरे से अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि मैं प्रसन्न हूं और विपक्ष के माननीय नेता के प्रति आभारी हूं जोकि एक अच्छे मित्र भी हैं और उन्होंने संसद के संकल्प की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। संसद का संकल्प हम सभी के लिए बाध्यकारी है और सदैव ही बाध्यकारी रहेगा क्योंकि हम सभी उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। यही बात मैंने प्रारंभ में कही है और मैं पुन: उसे दोहराता हूं भारत के सर्वधर्म समभाव और साथ ही भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब मैं कहता हूं 'अखंडता', तो मैं उसमें 1947 से पूर्व के सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य को शामिल करता हूं। मैं यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

जहां तक हमारे पथभ्रष्ट युवकों, हमारे अपने बच्चों का संबंध है यदि वे वापस आना चाहते हैं और बिना किसी पूर्व शर्त के बात करना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं।

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक

6 अगस्त, 1997

मैंने सभा के विभिन्न वर्गों के विचारों को बहुत ही ध्यान से सुना है। मैं भी मानता हूं कि कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं जिनको यह सरकार बढ़ावा नहीं देना चाहती। हम अत्यंत उत्सुक हैं कि सभा की आम सर्वसम्मति का हमें सम्मान करना चाहिए और हम उसका सम्मान करेंगे।

मेरा सुझाव है कि तब तक हमें आगे कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, हम यहीं रुकते है। हम उन सबके साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् वापस आएंगे। हम इस विधेयक को प्रस्तुत भी नहीं करेंगे। हम वापस आपके पास आ सकते हैं, मुझे समाप्त करने दीजिए।

*** *** ***[1]

मैं विपक्ष के नेता का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मेरे निवेदन को सही रूप में लिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी ओर से, सरकार की ओर से इस सभा से छुपकर कुछ भी करने का इरादा नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी नीतियां बनाई जाएंगी वे सभी के समक्ष, सभी की सम्मति से, सभी की जानकारी से तथा सभा की सहमति से ही बनाई जाएंगी। अत:, जब हम इसे स्थगित कर रहे हैं तो कृपया उसे उसी रूप से स्वीकारें। हमने सभा के उत्साह को देखा है और हम उसकी कद्र करते हैं।

मैं पुन: प्रतिपक्ष के नेता के प्रति आभारी हूं। मैं उनके वचनों का आदर करता हूं। हम विधेयक वापस लेते हैं।

*** *** ***[2]

पश्च टिप्पण

VI. बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 6 अगस्त, 1997

1. **अध्यक्ष महोदय** : प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं माननीय सदस्यों को सुझाव दूंगा कि हमें विधेयक प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

हम विधेयक को वापस रखते हैं। हम आपस में विचार-विमर्श करेंगे और सर्वसम्मति प्राप्त करने के पश्चात् एक व्यवस्थित रूप से हम वापस आएंगे।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : दो, तीन दिनों से या चार दिनों से हम बार-बार वित्त मंत्री के पास गए हैं। हम अपने संशोधन पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास भी गए हैं ताकि इसे सबको सभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व हम एक दूसरे के विचारों से वाक़िफ हो जाए। परंतु इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। हमें प्रसन्नता है कि इतना विलंब होने पर भी प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हम इस बात से खुश हैं पिछले चार दिनों से हमने इसके लिए प्रयत्न किए हैं।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। जब चुनाव के लिए कार्यवाही होने जा रही थी तो प्रस्ताव वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता। आप रूलिंग दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इतना ही काफी है; काफी है। कृपया अब मेरी बात सुनिए। प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है।

2. **अध्यक्ष महोदय** : मैंने भोजन अवकाश से पूर्व कहा था कि ऐसा पहले भी हो चुका है जबकि एक विधेयक को वाचन के तीसरे चरण पर होते हुए भी स्थगित किया गया था। इसके लिए विधेयक के प्रस्तावक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यदि सर्वसम्मति है तो ठीक है। अन्यथा स्थगन के लिए भी मुझे इसे सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। अतः यदि आप स्थगन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं; तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु मुझे उस प्रस्ताव को भी सभा के समक्ष मतदान के लिए रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस विषय में कोई सर्वसम्मति है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं सभा में किसी निश्चित सर्वसम्मति के बिना कुछ भी करना नहीं चाहता। मैं सर्वसम्मति के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि हम धारा 13 पर दो अत्यंत सुस्पष्ट स्थितियों पर अटक गए थे। मैं इसकी कोई आलोचना या निंदा नहीं कर रहा हूँ। एक संशोधन पहले हो अस्वीकृत हो चुका है। वे उस बात पर पुनः जोर डालने के हकदार हैं। आखिरकार, यह एक लोकतंत्र है और एक प्रणाली है। वे उस संशोधन के अस्वीकृत होने के बाद भी अपनी बात पर जोर डाल सकते हैं।

इसके अलावा, एक अन्य संशोधन भी है जोकि और अधिक सीमित प्रकृति का है। मेरे विचार से उस संशोधन के लिए व्यापक समर्थन है। अतः, सबसे मशवरा करने के पश्चात्, मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम की कार्य प्रणाली महज अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए संभवतः कोई समाधान निकाला जा सके। साधारण बीमा निगम 35 देशों में कार्यरत है और जीवन बीमा निगम 5 देशों में कार्यरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था और अब दोहराता हूं कि किसी भी विदेशी कम्पनी अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु भारतीय कम्पनियों को स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसीलिए मैंने संशोधन का प्रस्ताव किया था। मैं इसे औपचारिक रूप से इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

उस चरण पर प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि वह चाहेंगे कि श्री वाजपेयी तथा अन्य अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, क्या हम एकमत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपका विचार समझ गया हूं। परंतु इस पर भी, क्या हम एकमत हो सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपके विचार से अवगत हूं। इस पर भी तो कोई एकमत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह इस पर, जो सूत्र मैंने प्रस्तुत किया है और जो आपने प्रस्तुत किया है क्या इनमें कोई एकमत है? क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? अतः प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि, ''क्या आप इस मुद्दे को तब तक आस्थगित मान सकते हैं जब तक हम इसके विषय में विचार–विमर्श न कर लें? मैं श्री वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में अपनी टिप्पणी करें। हम एकमत हो सकते हैं। हम उन्हें भी शामिल करेंगे। हम कांग्रेस को शामिल करेंगे। वे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहते हैं। कांग्रेस को वास्तव में इस पर विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। अतः हमें सभी को इसमें शामिल करना चाहिए। हमें आशंकाओं से निपटने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। आप कह सकते हैं कि श्री जसवंत सिंह ने बार–बार किसी आशंका की बात कही है। मैं उस आशंका को दूर करने की चेष्टा कर रहा हूं। आइए देखें कि क्या आपकी आशंका को दूर करने का कोई तरीका है या नहीं। मेरे विचार से धारा 13

तथा 26 इसके लिए उपलब्ध हैं। हम इसे और बेहतरीन तरह से दूर कर पाएंगे। हमें एकमत होने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस पर कोई समझौता हो सकता है तो हम वाद–विवाद को स्थगित कर सकते हैं। वरना, मेरे विचार से विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री जी की अपील का उत्तर देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से किसी न किसी रूप में पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हुई है वैसी पहले कभी पैदा नहीं हुई। इसका कारण यह है कि सरकार विधेयक लाने से पहले अपना निश्चित मत नहीं बनाती है। किसका समर्थन मिलेगा, किसका समर्थन नहीं मिलेगा, इसका हिसाब नहीं लगाया जाता है और फिर जब सरकार कठिनाई में पड़ती है तो फिर कदम–व–कदम मानो किसी दबाव में काम कर रही है, बातें मानती जाती है।

हमने प्रारम्भ में मांग की थी, हमारे दल ने प्रारम्भ में मांग की थी कि हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के खिलाफ हैं, लेकिन भारतीय कम्पनियों को वहां पूरा मौका मिलना चाहिए। यह बात पहले स्वीकार नहीं की गई, अब स्वीकार की गई है। ओनली इंडियन कम्पनीज, जिसका अभी वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है और जो हमारे सामने संशोधन के रूप में आना बाकी है, वह यह मान रहे हैं कि ओनली इंडियन कम्पनीज को उसमें अवसर दिया जायेगा, यह अच्छी बात है, हम इसे पसन्द करते हैं। लेकिन इसके साथ जो आशंकाएं बनी हुई हैं, उन आशंकाओं को दूर करने के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। जब सवेरे मैंने इस बात का सुझाव रखा था कि थोड़ी देर के लिए चर्चा स्थगित की जाये, तो उसका उद्देश्य एक ही था कि हमने जो संशोधन दिया हुआ है, उसके बारे में सरकार विचार करे। क्या सरकार उस पर विचार कर सकती है? क्या कठिनाइयां हैं? वित्त मंत्री महोदय ने अभी कठिनाइयां बताई हैं और सचमुच में यह कठिनाइयां पहले सदन के सामने आनी चाहिए थी। वह भी पूरी कठिनाइयां हमारे गले के नीचे नहीं उतरती हैं।

सरकार का कहना यह है कि इंडियन कम्पनीज विदेशो में इन्श्योरेंस का काम कर रही हैं, वे अच्छा काम कर रही हैं, धन कमा रही हैं, वहां बसे भारतीयों की मदद से चल रही हैं। उनके हित में काम कर रही हैं और अगर हम अपने यहां यह लिख देते हैं कि विदेशी कम्पनियों के लिए हम दरवाजे बन्द कर रहे हैं तो फिर उनके लिए वहां कठिनाई पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं, इस तर्क में थोड़ा सा वजन है। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश में यह आशंका लगातार बढ़ती जा रही है कि अगर छोटा सा भी छेद रहने दिया गया तो फिर उसमें से बड़े पैमाने पर विदेशी तत्व प्रविष्ट कर रहे हैं। आखिर चन्द्रशेखर जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। उनके मन में यह आशंका क्यों पैदा हो रही है कि देश अपनी सर्वप्रभुता को गिरवी रखने जा रहा है। मेरे मित्र जार्ज फर्नाण्डीज भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर जो कुछ कह रहे हैं, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है।

लेकिन अब वित्त मंत्री महोदय ने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी समय मांगा है, तो मैं समझता हूं कि सदन को समय देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर इसके बाद जब आप विधेयक लेकर आयें तो हमारी सारी आशंकाओं को दूर करने वाला विधेयक होना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं केवल एक ही बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं पार्टियों के नेताओं से लगातार अलग–अलग परामर्श करता रहा हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था तथा समिति के 45 सदस्यों में से 44 सदस्यों ने इस विधेयक को पांच संशोधनों के साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक बार फिर इसे तोड़–मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि स्थायी समिति की रिपोर्ट मौजूद है। इसके बावजूद भी मैं केवल इसी रिपोर्ट के अनुसार नहीं चल रहा हूं मैंने सभी पार्टियों के नेताओं से बराबर परामर्श किया है और अब जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसका अर्थ भली-भांति समझ रहा हूं, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें समय चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपको यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए। आपको विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं विपक्ष के नेता का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मेरे निवेदन को सही रूप में लिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी ओर से, सरकार की ओर से – इस सभा से छुपकर कुछ भी करने का इरादा नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी नीतियां बनाई जायेंगी वे सभी के समक्ष, सभी की सम्मति से, सभी की जानकारी से तथा सभा की सहमति से ही बनाई जाएगी। अतः, जब हम इसे स्थगित कर रहे हैं तो कृपया उसे उसी रूप में स्वीकारें। हमने सभा के उत्साह को देखा है और हम उसकी कद्र करते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई स्थगन नहीं। सरकार को विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : इसे वापस ले लेना चाहिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : इसे वापस ले लेना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि सरकार इस पर कोई सर्वसम्मति चाहती है तो सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिए। जब सर्वसम्मति होगी तब एक नया विधेयक लाया जा सकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: विधेयक को वापस ले लिया जाए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विधेयक को वापस ले लिया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अच्छा होगा सरकार इस विधेयक को वापस ले ले।

श्री बसुदेव आचार्यः इस विषय पर सर्वसम्मति आवश्यक है। जब विधेयक पर कोई सर्वसम्मति नहीं है तो उसे वापस ले लिया जाना चाहिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मंत्री जी को विधेयक वापस ले लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अब दो–तीन प्रस्ताव हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि आज सब कुछ सभा की सम्मति से ही होना चाहिए। यदि यह नए संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए हैं तो वह सभा की अनुमति से ही होना चाहिए। यदि यह विधेयक के स्थगन का प्रस्ताव है, तो यह पुनः उचित प्रस्ताव द्वारा तथा सभा की सहमति से होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो यह मतदान द्वारा किया जाना चाहिए। इसे वापस भी सभा की सहमति से ही लिया जाना चाहिए। सरकार को अपना मन बनाना चाहिए और अभी तीन में से किसी एक उपाय को अपनाना चाहिए। अन्यथा, मुझे संशोधनों को मतदान के लिए रखना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वापस लेने के लिए आम सहमति है।

श्री रूप चंद पाल : मंत्री जी को विधेयक वापस ले लेने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि सरकार विधेयक को वापस लेने का निर्णय लेती है तो इसका विरोध नहीं होगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं पुनः प्रतिपक्ष के नेता के प्रति आभारी हूं। मैं उनके वचनों का आदर करता हूं। हम विधेयक वापस लेते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं बीमा पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करने और बीमा उद्योग को विनियमित, प्रोन्नत करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति चाहता हूँ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने पर नियम 193 के अधीन हुई चर्चा

8 अगस्त, 1997

मैंने अपने माननीय मित्र की बातों को सुना है और उनकी बातों से सहमत हूं क्योंकि सुचारू सार्वजनिक प्रणाली का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज के बहुत गरीब लोगों की सहायता की जा सकती है और उनकी समस्याएं भी दूर की जा सकती हैं और यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रधान उद्देश्य है। समय के साथ-साथ हमने यह अनुभव किया है कि उत्पादकों को दी जाने वाली धनराशि में अभिवृद्धि मूल्यों के बढ़ने का प्रधान कारण है। उदाहरणार्थ, प्रतिवर्ष सरकार ने कृषक समुदाय को अधिक मूल्य दिया और अब भी दे रही है। मुझे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे विचार से यह हमें करना था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में कृषक समुदाय का बहुमत है और उनके द्वारा किए गए परिश्रम का मूल्य उन्हें मिलना चाहिए स्वाभाविक रूप से इससे सरकारी क्रम में भी अभिवृद्धि होगी।

अब सरकार–मेरी सरकार के नहीं, पिछली सरकार के, जिसका मैं एक सदस्य था, के समक्ष प्रश्न आता है कि गरीब वर्ग की समस्याओं को कैसे दूर करें। हम सदैव इस सच्चाई के प्रति सतर्क थे कि यह उन लोगों के लिए असहनीय बोझ है जो गरीबी रेखा के नीचे रहते है। मेरे माननीय मित्र ने सही बताया है कि जो झुग्गी-झोपड़ियों या वे लोग सड़क के किनारे रहते हैं, जो शहरी गरीबों के एक अंग है बहुत अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें है जिनका हमें सदैव ध्यान रखना है। इसलिए यह नयी सार्वजनिक वितरण, प्रणाली आरम्भ हुई। विचार यह था कि कम से कम कुछ आवश्यकताएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए। इसलिए प्रति परिवार दस किलो चावल आधे मूल्य पर दिए गए। इसका अर्थ था कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए वार्षिक वित्तीय भार पड़ना था। योजना का क्रियान्वयन हो गया है। यह वितरित किया जा रहा है।

अब धीरे-धीरे जैसे समय व्यतीत हो रहा है – मैं विभिन्न राज्यों, विशेषकर, पिछड़े राज्य और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों सहित मैं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहा हूं–इससे पता चला है कि प्रणाली में कई खामियां हैं। इसमें पहली खामी है कि प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम चावल आधे मूल्य पर दिया जाता है लेकिन कोई भी परिवार केवल दस किलोग्राम चावल से जीवनयापन नहीं कर सकता है। इसलिए यह मानना कि चार या पांच लोगों का परिवार प्रतिमाह दस किलोग्राम चावल से अपना जीवनयापन कर लेगा तो बहुत बड़ी गलती होगी। यह पर्याप्त नहीं है। यह एक सही आपत्ति है। शेष की पूर्ति के लिए वह बाजार मूल्य पर खरीदते है जो कि अधिक है। इसलिए जो सहायता उन्हें दी जाती है वह बहुत सीमित होती है। राहत तो दी जा रही है लेकिन इतनी नहीं है जितनी की आवश्यकता है। सच्चाइयों पर ध्यान देते हुए कि ये बातें हमारी ध्यान में आयी हैं। हमने आपस में चर्चा की और एक नई योजना का श्रीगणेश करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक

शीघ्र ही करने जा रहे हैं। इस बीच हम दूसरे विकल्प ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे। माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि हम राजसहायता एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं इसका यह कारण नहीं है कि राजसहायता की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसका कारण है कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है और हमें यह निश्चित करना है कि इसको कैसे वहन करें।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि 9,000 करोड़ रुपये की राजसहायता पहले ही दी जा रही है। शायद आंशिक रूप से कुछ और भी बढ़ाया जा सकता है। शायद हम इसको कुछ अलग कर सकते हैं।

इसलिए, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मंत्रालय ने इसका विकल्प तलाशने का निर्देश दिया है और निकट भविष्य में मुख्य मंत्रियों से मिलूंगा और इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आसन पर बैठू मैं एक बार फिर वही बातें दुहराता हूं जो मैंने आरम्भ में कहा था कि समाज के पीड़ित वर्ग के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम, विशेषकर स्वतंत्रता के पचास वर्ष में कुछ करना चाहते हैं। यह बहुत खेद और शर्म की बात है कि इस देश में अभी भी भारी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इस बात से मुझे कोई संतोष नहीं है कि उनकी संख्या में कमी या प्रतिशत में कमी आई है। गांधी जी के शब्दों में "जब तक भी आंख में आंसू होगा, देश अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता"।

इसलिए मैं इससे सहमत हूं। मैं सोचता हूं कि आप या आपके पीछे बैठे श्री जार्ज फर्नांडीज और अन्य मित्र जो यहां उपस्थित हैं सभी इस प्रकार की भावना से अभिभूत है। मेरा कहना है कि हमने कुछ लोगों के लिए, जो धनवान हैं, स्वतंत्रता संघर्ष नहीं किया था। हम चाहते हैं कि गरीबों को उनका उचित हिस्सा मिले।

आंशिक रूप से इसे पूरा कर लिया गया है लेकिन मैं सोचता हूं अभी भी बहुत कुछ करना है और मैं सोचता हूं कि यह ऐसा, चाहे हम इस ओर रहें या उस ओर, होने का कुछ कारण है और इसलिए हम इससे सहमत हैं। यह एक दल का प्रश्न नहीं है यह एक साधारण नीति का प्रश्न है।

*** *** ***[1]

पश्च टिप्पण

VII. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने पर नियम 193 के अधीन हुई चर्चा, 8 अगस्त, 1997

1. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** (कोटा) : आप कोई ठोस योजना बनाइए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसलिए मैं सोचता हूं कि सच्चाई पर ध्यान देना महत्वपूर्ण कार्य है।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसलिए यह किसी दल का प्रश्न नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम सब अपने को इस समस्या में शामिल करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमें जिस समय विकल्प मिल जाएगा हम सदन में आएंगे आप सभी के साथ, नेताओं की बैठक और सभा दोनों में ही चर्चा करेंगे और उस योजना का श्रीगणेश करेंगे जो गरीबी के लिए अधिक लाभदायक होगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

1 सितम्बर, 1997

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं आज के विषय पर बोलूं क्या मैं आपके जन्मदिन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस सदन की शुभकामनाएं आप तक पहुंचाने में अपने योग्य साथी, प्रतिपक्ष के नेता के साथ सम्मिलित हो सकता हूं। हमारी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आप भारत के स्वतंत्र होने के एक पखवाड़े के बाद पैदा हुए थे। अत: यह विधाता की विलक्षणता ही दिखाई पड़ती है कि आपके जन्मदिन की 50वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में ही पड़ती है। मेरा विश्वास है कि राष्ट्र की सेवा में आपके लिए एक बेहतर भविष्य इंतजार कर रहा है। आपको मेरी बधाइयां।

यह चर्चा कराने के लिए आपने जो नवीन विचार रखा उसके लिए भी क्या मैं आपको बधाई दे सकता हूं? मुझे यह कहना चाहिए तथा मैं यह स्वीकार करता हूं कि नि:संदेह यह हमारे गणतंत्र के 50 वर्षों के संपूर्ण इतिहास में अभूतपूर्व है ऐसा पहली बार हुआ है।

पुन: आपको इस बोध क्षमता के लिए मैं बधाई देने में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हूं। मैं बहुत साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि उधर तथा इधर दोनों पक्ष के बहुत से लोग शुरू में यह संदेह कर रहे थे कि इस पर कैसे चर्चा की जाएगी कितनी दिलचस्पी ली जाएगी कितने सदस्य वास्तव में उन विषयों पर बोलेंगे जिन पर हम सोच रहे थे। कभी-कभी ये संदेह अविश्वास की सीमा तक भी पहुंच जाते। मुझे कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार यह चर्चा इतने दिनों तक चली तथा सदस्यों ने जिस परिश्रम से इसमें भाग लिया है, उससे सभी अविश्वास तथा संदेह मिथ्या सिद्ध हुए हैं।

चर्चा बहुत ही उच्चस्तरीय रही है। मैं समझता हूं कि संसद में मेरे इतने लंबे कार्यकाल में मैंने सदस्यों में इतना उत्साह तथा इतनी रुचि नहीं देखी कि वे रात-रात भर बैठे हों और चर्चा में भाग लिया हो। साथ ही जैसा कि अटल जी ने ठीक ही कहा है कि मुझे सभा के उन सभी सदस्यों की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने अपने विषयों जिन पर वे बोल रहे थे को स्वयं तैयार किया। सदन के मामले में भी यही बात हुई। अत: एक प्रकार से संपूर्ण संसदीय प्रणाली के लिए यह प्रशंसा की बात है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने शोरगुल, जो हम आम दिनों के वाद-विवाद के दौरान देखते हैं से ऊपर उठकर असाधारण साहस, दृष्टि तथा क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन पांच दिनों में ये बातें मिथ्या साबित हुई हैं। सामूहिक आत्मचिंतन हमारे लिए कुछ नई बात है परन्तु इसके साथ ही मैं यह समझता हूं कि हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती पर सदन द्वारा दी जाने वाली यह सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है। अत: अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसका श्रेय फिर एक बार आपको ही जाता है। मैं दोहराना चाहूंगा कि कभी-कभी तो चर्चा प्रात:काल तक चलती रही अथवा पूरी रात तक चलती रही। चर्चा उपयोगी, शिक्षाप्रद तथा विचारोत्पादक रही और कई बार हमने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अज्ञात पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। संसद ने एक संगठन के रूप में नई ऊंचाइयों को छुआ और इसने दलीय संबद्धता से ऊपर उठने की क्षमता प्राप्त की है तथा इन 50 वर्षों की उपलब्धियों एवं कमियों की उल्लेखनीय वस्तुनिष्ठ जांच की है। यहां और दूसरे सदन में कुछ भाषणों को जिसने भी सुना वह हमें यह विश्वास करने की ओर प्रेरित करता है कि राष्ट्र लगातार प्रबुद्ध महाविभूतियों तथा महान विचारों वाले लोगों को उत्पन्न कर रहा है। गणतंत्रता के प्रथम दिन की भांति राष्ट्र स्वयं को लगातार पुन: समर्पित कर रहा है। अत: उसी भावना के तहत यह चर्चा हुई है।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैंने उसको नोट कर लिया है। जैसाकि मेरे योग्य साथी, प्रतिपक्ष के नेता ने सुझाव दिया है निश्चय ही हम उन सभी की कही गई बातों पर अवश्य ध्यान देंगे तथा उन्हें संकलित करेंगे और जिन विभिन्न मसलों का यहां जिक्र किया गया है उन पर कार्रवाई भी प्रारंभ करेंगे। मुझे ऐसे समय बोलने के लिए कहा गया है जब मुझे चर्चा को समाप्त करना है। यह एक बहुत ही विशाल कार्य है जिसे मैं नहीं कर सकता क्योंकि यह आसान नहीं है। जो कुछ भी पिछले लगभग पांच दिनों से बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों में कहा गया है और जो विशिष्ट मुद्दे यहां उठाए गए हैं, मेरे लिए उन सभी का उत्तर देना न तो साध्य है और न ही संभव है।

किसी समय किसी अवसर पर मेरे साथियों ने वाद-विवाद में भाग लिया है तथा अपने विचार प्रकट किए हैं। जो कहा गया है मैं उसे दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि वाद-विवाद ने मुझे बहुत हद तक प्रेरित किया है। इसने मुझे विशेषकर 50वें वर्ष में यह सोचने पर बाध्य कर दिया है कि भारत क्या है तथा भारत की परिभाषा क्या है। हम अपने को पुन: परिभाषित कर रहे हैं तथा यह पुन: परिभाषा बहुत ही उपयोगी रही है क्योंकि इस सदन एवं दूसरे सदन में बैठे हुए हमारे योग्य साथियों ने बहुत उल्लेखनीय दृष्टि तथा विचारों को सामने रखा है। कभी-कभी तो मुझे महसूस हुआ कि चर्चा ने उत्कृष्टता की सीमा को छू लिया है। कभी-कभी मैंने महसूस किया कि हम उत्कृष्ट तरीके से स्वयं से ऊपर उठ रहे हैं तथा मैंने यह भी महसूस किया कि इन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा देश, हमारा राष्ट्र। स्वतंत्रता संग्राम हमारी चर्चा की पृष्ठभूमि रहा है। हमने यह भी देखा है तथा महसूस किया है कि जिस संग्राम की हम बात कर रहे हैं जिसने 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की वे मेरे विचार से एक प्रकार से हमारी सभ्यता का विस्तार ही था।

जब हम अपनी सभ्यता की ओर देखते हैं, इसकी चोटियों और घाटियों को देखते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम कैसे सफल हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा बहुत लम्बी रही है। मैं स्वतंत्रता संग्राम इसकी अवधि तथा इसके इतिहास जिससे वह गुजरा, के बारे में बात करके आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। परन्तु एक बात बहुत ही स्पष्ट थी। जब हम उस युग गांधी जी के समय की ओर मुड़कर देखते हैं तो हम बार-बार यह अनुभूति करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम मुख्यत: इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसकी जड़ें हमारी अपनी मिट्टी अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति में काफी गहरी थीं। गांधी दर्शन तथा उनके प्रेरणा स्त्रोत सभी स्वदेशी थे। गांधीवादी प्रेरणा स्रोत विदेशी नहीं थे उन्हें दूसरे देशों से आयात नहीं किया गया था। वह यहीं उत्पन्न हुए थे।

जब गांधी जी बार-बार धर्म की बात करते थे, धर्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल होने के कारण कुछ ऐसी चीज था जिसने वास्तव में हमारे दिमाग और हमारे संघर्ष को एक नया आयाम दिया। नि:संदेह, जब वह धर्म की बात करते थे, तो उनका आशय धर्म से कुछ अलग था, उनका आशय सम्प्रदाय पंथ पूजा से अलग था, उनका आशय जिसे हम चर्च कहते हैं उससे अलग था। उनकी धर्म की परिभाषा व्यापक थी। मैं उनमें से एक हूं जो विश्वास करते हैं और मैं समझता हूं कि सदन भी विश्वास करता है कि एक शब्द धर्म है जिसका किसी भी गैर-जातीय भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने यही अपनी बात की।

गांधी जी ने पंथ निर्माण करने का प्रयास कभी नहीं किया। उन्होंने कोई मठ बनाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। उनका दृष्टिकोण यह मूलत: किसी अन्य बात से कहीं ज्यादा दया पर आधारित था। जब हम मुड़कर गांधी जी के बोध, उनके दृष्टिकोण, उनके अधिकारिक संचालन को देखते हैं तो मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि उनकी दया प्राय: महात्मा बुद्ध की याद दिलाती है। मेरे विचार से उन्होंने उस दया धर्म की धारा जो महात्मा बुद्ध ने सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त की थी, पुन: प्रवाहित कर दी। गांधीवादी विचारधारा में मूल रूप से प्राय: जो विचार और आदर्श थे वे हमारे लिए एकदम अपरिचित से थे। कभी-कभी वे हमें हैरान कर देते थे और कभी-कभी वे उन्हीं शब्दों की नई व्याख्या करके उन्हीं शब्दों को नया अर्थ दे देते थे। उन्होंने राष्ट्र के व्यापक पैमाने पर अलग ढंग से सोचना शुरू किया। यह गौर करने लायक बात है कि गांधी जी उन पुराने मुहावरों, पुरानी उक्तियों और पुराने शब्दों का प्रयोग करते थे, जिनका हम प्रयोग करते रहे हैं, उन्होंने उनको नया अर्थ दिया और उन्होंने जनता को संगठित करने, उसमें एक लहर पैदा करने के लिए उनका प्रयोग किया। कुछ लोग जो यह सोचते थे कि वे बहुत अधिक बुद्धिमान हैं वे हतप्रभ थे। कभी-कभी वे असमंजस की स्थिति में होते थे, क्योंकि वे इसके लिए तैयार ही नहीं होते थे कि पुरानी कहावतों को नये तरह का अर्थ दिया जा सकता है जो गांधी जी दिया करते थे।

हमारी जन लहर ज्वार-भाटा में बदल गई, हमने कुछ चाहा वह प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की सभ्यतागत एकता को पूरा महत्व दिया गया। भारतीय सभ्यता की मुख्य खोज हमेशा विविधताओं पर निर्भर रही। ये वे व्यापक विविधताएं हैं जिन्हें

हम अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं, निरंतर विभिन्न भाषाओं, विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों और जीवन के विभिन्न तरीकों का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम वहां एक खिंचाव पाते हैं, जहां हम सभी जुड़ते हैं। गांधी जी का मूल योगदान इन विविधताओं में पुन: एकता को ढूंढना था। वह अब भी हमारे देश का एक पैमाना बना हुआ है। इन पचास वर्षों में हमने इसे सीखा है। हमने बार-बार कहा है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ भी पाया इसी बोध के कारण पाया। यदि गांधी जी उस समय एक बात पर अथवा एक धर्म पर अथवा जीवन के एक तरीके पर जोर देते तो संग्राम को कभी सफलता नहीं मिलती, भारत में कभी एकता स्थापित नहीं होती।

अत: महोदय हमें यह बात अपने लिए दोहरानी चाहिए और आपकी आज्ञा से मेरा तो सदन से यह निवेदन है कि विविधता की यह एकता वह ध्वज है जो भारतीय स्वतंत्रता की मजबूत मस्तूल पर ऊंचाइयों पर फहराता रहना चाहिए। यह मुख्य बात है।

हम कभी-कभी इसमें गलती करते हैं। कभी-कभी हम महसूस करते हैं कि शायद विविधता में एकता की तुलना में एकरूपता अधिक महत्वपूर्ण है। मैं विनम्रता से दोहराना चाहूंगा कि यदि इसे हम एकरूपता से सांचे में ढालना शुरू करें तो भी यह राष्ट्र कभी एक नहीं रहेगा, इसमें कभी भी एकता नहीं रहेगी। हमें हमारी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, हमें अपने जीवन के तरीकों को सम्मान देना चाहिए, हमें अपने धर्मों को सम्मान देना चाहिए, हमें अपनी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने ऐतिहासिक अनुभवों को सम्मान देना चाहिए। तभी यह राष्ट्र गर्व के साथ स्वयं को भारत राष्ट्र कह सकेगा।

पुन: भारत राष्ट्र विविधताओं से भरा राष्ट्र है। मैं तो कहता हूं कि अगले 50 वर्षों या एक शताब्दी के लिए हमारे समक्ष यह एक चुनौती है। यदि हम इस सच्चाई को पहचान लें तो हम जीवन के एक पहलू पर एक भाषा या एक धर्म पर बल देने के प्रयास के उलझाव में नहीं फसेंगे और इस प्रकार अपने पथ पर कभी नहीं भटकेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह गलती हमें बहुत भारी पड़ेगी। कभी-कभी संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण, कभी-कभी एक विशेष आन्दोलन की समीचीनता, एक विशेष चुनाव की लाचारी हमें अंधा कर सकती है और हम मत प्राप्त करने के लिए एक जाति अथवा एक धर्म अथवा एक भाषा पर जोर देने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इस सदन को आज यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।

एक बार जब हम निश्चित रूप से यह समझ लें कि हमारी अपनी विविधता है जिनका हम सम्मान करते हैं, हमारे जीने के अपने अलग-अलग ढंग हैं, हमारी आस्थाएं अलग-अलग हैं तो हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम ऐसा कुछ भी करने का प्रयत्न नहीं करेंगे जिससे किसी अन्य भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। हम हमेशा पहले भारत और फिर भारतीयता की बात करते हैं। जी हां, भारत पहले और भारतीयता पहले इसी अवधारणा का परिणाम है और यह जीवन का एक तरीका है। यदि हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं यदि हम अपनी अवधारणा, दिल और दिमाग को तोड़ने का

प्रयत्न नहीं करते हैं तो भारत का भविष्य सदा सुरक्षित रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमें इस देश की एकता के मंत्र को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना होगा। मैं पंडित नहीं हूं जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से भारत की एकता का महान मंत्र जो महानता का प्रवेश द्वार है, के तीन आशय हैं मेल, सामन्जस्य, सहनशक्ति, विविधताओं का सम्मान और उसमें बड़ी समझदारी से सम्मिलित सांतत्य और परिवर्तन भी है। सातंत्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांतत्य के बिना निष्क्रियता आ सकती है। हमारी भाषाओं, हमारे संगीत, हमारे काव्य और हमारे दर्शनों को विगत शताब्दियों से शक्ति मिली है और यदि हम इसके अन्दर एकीकरण और सामंजस्य स्थापित करते रहेंगे तो ऐसा होता ही रहेगा। वर्षों पहले एक उर्दू कवि ने कहा था:

युनानो मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

वह क्या है, जिसने हमें बनाए रखा है? वह कुछ बात क्या है। मुझे विश्वास है कि हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि यह कुछ बात है विविधताओं की एकरूपता, सम्मान, आत्मसात करने की प्रक्रिया, आत्मसात करने का साहस, निरस्त करने का साहस जो हम नहीं चाहते और आत्मसात करने का वह साहस जो हमारी सहायता करता है। इसने विगत काल में हमारी संस्कृति को शक्ति प्रदान की है और ऐसा आगे भी करता रहेगा और इसीलिए मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज इस 'कुछ बात' की विकास के प्रत्येक स्तर पर खोज करें, कल हमने ऐसा किया था, कल इसे जारी रखेंगे।

इकबाल ने कहा था:

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

यह हमारी अतीत की धरोहर है तथा यह भविष्य के लिए एक चुनौती है। मैं समझता हूं कि इस चुनौती पर हमने निरंतर आत्मान्वेषण, आत्मलोचन, आत्म विश्लेषण करने और अपने आपको अनुप्राणित करने तथा साथ ही साथ अपनी धरती/अपनी परंपराओं और अपनी सभ्यता पर दृढ़ता से कायम रहते हुए विजय हासिल की है।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसाकि नेहरू जी कहा करते थे, जो हमें डगमगाए। कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे हम अपनी जड़ों से अलग हो जाएं। कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें हमारी सभ्यता से दूर ले जाए। इसके साथ ही हममें क्षमता होनी चाहिए। जी हां, विगत में हमने उस बात को आत्मसात करने का प्रयास किया था जो कि हमारे हित में है। आज विश्व परिवर्तन के नए युग के द्वार पर खड़ा है अथवा परिवर्तन के नए युग में प्रवेश कर चुका है। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, विमान द्वारा लाए गए परिवर्तन अभूतपूर्व हैं, ये मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। मानव के समग्र इतिहास में जब से वह पैदा हुआ है मेरे विचार से इस प्रकार के अनुभव कभी नहीं किए गए हैं। इसलिए अब, इस स्तर पर, हमें भविष्य के लिए निर्णय लेना चाहिए। महोदय, आपसे और इस सभा से यही मेरी अपील है।

भारत को निर्णय लेना चाहिए कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान के नए परिवर्तन के इस युग में भारत अग्रणी स्थान प्राप्त करे, इसे अगली पंक्ति में रहना चाहिए, नई प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए क्योंकि इससे नई सृजनशीलता उत्पन्न होनी चाहिए। इस नई सृजनशीलता से भारत एक बार फिर वही महान भारत बन जाएगा जो सदैव से रहा है।

अत: विज्ञान के इन नए मोर्चों, प्रौद्योगिकी के इन नए मोर्चों के बारे में नए विचार उत्पन्न होने चाहिए और नए आविष्कार किए जाने चाहिए। इस प्रकार हम चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और इन्हें अपने लिए एक अवसर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। केवल अकेले इससे ही, मैं फिर दोहराता हूं अकेले इससे ही, इस परिवर्तन से ही अग्र स्थान प्राप्त करने के लिए हमारा साहस, हमारा दृष्टिकोण, हमारा निश्चय बढ़ेगा। क्या हम वह स्थान प्राप्त कर सकेंगे जिससे भारत का प्रवेश द्वार पार करने में सुगमता हो।

आज भारत महानता की ओर अग्रसर है और यह महानता हमारी पहुंच में है और हमारी पकड़ में है। हम यह कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। यह अगली शताब्दी के लिए अथवा यदि मैं ऐसा कहूं यह अगले पचास वर्षों के लिए एक चुनौती है।

एक बार मलेशिया के प्रधानमंत्री यहां आए थे। उन्होंने कहा था कि "चुनौती 20:20 की है"। वह अलंकारिक ढंग से बात कर रहे थे और दूरदृष्टि के बारे में भी बात कर रहे थे। आखिरकार विश्व का बेहतर नजरिया 20:20 का है। इसलिए हमें भी 20:20 की चुनौती स्वीकार करनी होगी। यह 20:20 प्रौद्योगिकी की चुनौती है तथा यह परिवर्तन की चुनौती है। अत: यह विवेकशीलता परिवर्तन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए तथा भारत को अब इसका अनुसरण करना चाहिए।

इसके साथ ही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस राष्ट्र के सामाजिक-बौद्धिक उद्देश्य केवल आश्चर्य से देखने के लिए ही नहीं हैं जैसाकि अन्य राष्ट्र कर रहे हैं। केवल यही देखने की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति चन्द्रमा पर उतर गया है और समाचार-पत्रों में केवल यही पढ़ने की बात नहीं है कि यदि अन्य व्यक्तियों ने उपग्रह प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली है तो हमें भी मिल जाएगी। हमें स्वयं इसे प्राप्त करना होगा। परिवर्तन, बड़े परिवर्तन का यह ड्रामा जो कि विश्व देख रहा है उसे आत्मसात किया जाना चाहिए, यह न केवल कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किया जाना चाहिए, न केवल उन एक-दो सौ लोगों द्वारा, जो प्रौद्योगिकी संस्थान से जुड़े हैं और न केवल उन कुछ हजार लोगों द्वारा किया जाना चाहिए बल्कि मेरे विचार से हमारे समक्ष चुनौती यह है कि समग्र राष्ट्र द्वारा इस लक्ष्मण रेखा को सम्पूर्णता के साथ पार किया जाना चाहिए। जब तक समग्र राष्ट्र इसे पार नहीं करता है और प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश नहीं करता है तब तक राष्ट्र वास्तविक रूप में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा। जब मैं समग्र राष्ट्र की बात करता हूं तो मैं विशेष रूप से युवा वर्ग की बात करता हूं।

इस देश में युवा वर्ग का बहुमत है। उन्हें नई शिक्षा दी जाती है। उन्हें नई प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाती है। इस सरकार का यह कर्तव्य है, इस संसद का यह कर्तव्य है, हम सभी का संयुक्त रूप से यह कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि युवा वर्ग, न केवल युवा वर्ग बल्कि महिलाएं भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस नए युग में प्रवेश करें।

हमारे समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग महिलाएं हैं। शिक्षा के माध्यम से, इनका स्थान उन्हें देकर, महिलाओं को शक्ति प्रदान करके और महिलाओं के अलावा विशेषरूप से समाज के वे वर्ग जो शताब्दी से पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं उनके लिए हम यह सुनिश्चित करें जिससे वे भी परिवर्तन के इस नए युग में प्रवेश करने हेतु सक्षम बन सकें। अनेक शताब्दियों से समाज ने उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं दिया। आज जब यह प्रौद्योगिकीय रूप से व्यवहार्य है, जब वैज्ञानिक दृष्टि से गरीबी और पिछड़ेपन को समाप्त करना संभव है, तो इसके लिए हम सभी को संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए।

यदि मुझसे पूछा जाए कि आज राष्ट्र के समक्ष क्या चुनौती है तो मैं इसे इस प्रकार बताऊंगा। पिछड़ापन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से समाप्त किया जा सकता है तथा इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि हम इन तीनों बातों को पूरा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरे राष्ट्र को नई रोशनी दिखा सकेंगे। नई रोशनी में ले जाना भविष्य की एक चुनौती है।

एक नजरिया समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी धर्मों, जीवन के सभी क्षेत्रों और पुरुषों और महिलाओं का है। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए।

इसे केन्द्रीय बिन्दु मानकर हमारी शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय संबंधी सभी नीतियां इस बुनियादी धारणा से तैयार की जानी चाहिए। एक बार यदि बुनियादी धारणा स्पष्ट हो जाती है तो नीति तैयार करना एक विशद मामला बन जाता है। यदि आप इस उद्देश्य में संभ्रमित हो जाते हैं तो नीतियों में भी भारी भ्रांति रहती है। निश्चित रूप से इसका ब्यौरा तैयार किया जा सकता है। ब्यौरे पर इस गरिमायुक्त निकाय और सभा में भी चर्चा की जा सकती है तथा परिवर्तन किए जा सकते हैं।

जब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पंक्तियों के विस्तार की बात करता हूं तो मुझे इस बात की भी जानकारी रहती है कि नई पीढ़ी हमारे जीवन में कदम रख रही है और इस नए परिदृश्य का हमारे ऊपर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है।

हम सभी उपग्रह, दूरदर्शन की बात करते हैं। हम सभी उन कार्यक्रमों की बात करते हैं जिन्हें कि हम देख चुके हैं। इस स्थिति में आकर या कम से कम आज सुबह यह बताने की कोशिश करना, केवल मेरा ही जिम्मा नहीं बनता कि हमारी प्रचार माध्यमों संबंधी नीति क्या होनी चाहिए। परन्तु मैं इस बात को भी ध्यान में रखूंगा कि उपग्रह चैनल, दूरदर्शन, दूरसंचार के विभिन्न माध्यम तथा इसके अतिरिक्त यातायात और यात्रा के भिन्न माध्यम हमारा दिशा निर्धारण कर रहे हैं तथा हमारे जीवन में प्रभावकारी परिवर्तन ला रहे हैं। आज विचारधारा में भी परिवर्तन आ रहा है तथा सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। एक-दूसरे के प्रति हमारी सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। आज शेष विश्व की तरह भारत भी संचार माध्यमों के कारण सिमट कर रह गया है। यातायात के साधनों से यह सब आसान हो गया है। टेलीफोनों ने इसे और सुगम बना दिया है तथा फैक्स से हमें बहुत अधिक सुविधा हो गई है। अब इन सामाजिक संबंधों में नाटकीय परिवर्तन आ रहा है। हम सभी के जीवन में परिवर्तन आ रहे

हैं। मेरा सब से, मेरा आशय सबसे है। यहां तक कि समाज के अभावग्रस्त वर्ग में भी परिवर्तन हो रहा है तथा यह परिवर्तन कभी आन्दोलन के रूप में तथा कभी मांग के रूप में उभरता है। लेकिन नए विश्व के प्रति ऐसा अनावरण भी अपना प्रभाव डाल रहा है। कभी-कभी यह प्रभाव सकारात्मक नहीं होता है। कभी यह नकारात्मक रूप से हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है। कभी-कभी इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन के तौर-तरीकों को प्रभावित करता है, कभी-कभी इसका हमारी भावनाओं, संगीत और साहित्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। कभी-कभी वह लाभकारी होता है और जैसाकि मैंने कहा है कभी-कभी यह नकारात्मक तथा आंशिक रूप से हानिकारक होता है।

अत: जब हम अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक नीतियों की समीक्षा करते हैं। तो हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि ये नीतियां विवेकशील हों। लेकिन पुन: वही बात सामने आती है कि कितना परिवर्तन किया जाए और इसे कितना ग्रहण किया जाए और कितना ग्रहण नहीं किया जाए। यहीं पर इस सभा की सामूहिक सोच से फायदा होता।

एक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। यहां तक कि पूरी स्थिति की कल्पना करना पूरे मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों के लिए भी संभव नहीं है। इस विषय पर इस सदन में और सदन के बाहर, प्रबुद्ध वर्गों के बीच, बुद्धिजीवी वर्गों के बीच सामाजिक संगठनों तथा सभी गैर-सरकारी संगठनों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की जानी चाहिए और हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहना चाहिए, विचारों का यह आदान-प्रदान ही सही मायने में लोकतंत्र है। यह विचार-विमर्श हमेशा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से इसी पर केन्द्रित रहता है।

लेकिन, साथ ही साथ जब मैंने यह कहा कि इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं, तो मैं इस बात को पुरजोर शोर से एक बार फिर कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में अपनी खिड़कियों को बन्द नहीं करना चाहिए बल्कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हम दिमाग से काम लेना ही छोड़ दें।

भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है। हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता हमें बताती है कि भारत का महत्व इसी बात के लिए रहा है कि इसने हमेशा अपनी खिड़कियां खुली रखी हैं। कवि टैगोर ने अपने उस प्रसिद्ध गीत में कहा था कि अपनी बुद्धि के दरवाजे खुले रखिए। नए विचार आने दीजिए। उन्हें आत्मसात करना सीखिए। यही बात गांधीजी ने भी कही थी। भविष्य के लिए एक बार फिर हमारे लिए यही एक मंत्र है। इसलिए समाचार माध्यम संबंधी नीतियां, शिक्षा संबंधी नीतियां तथा आर्थिक नीतियां निर्धारित करते समय हमें यह जान लेना चाहिए कि विचार-विमर्श कैसे किया जाए तथा एक अच्छे परिवर्तन के संदर्भ में कैसे बात की जाए। इस क्रम में हमें अपने लिए कल्याणकारी चीजों को ग्रहण करते हुए उन्हें यथासंभव आत्मसात करना चाहिए।

अपने सम्पूर्ण इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने कुछ भी ग्रहण न किया हो। भारत ने हमेशा ग्रहण ही किया है। हम अपने संगीत की नियति पर दृष्टिपात करें। अपनी भाषाओं पर नजर डालें, हिन्दी और उर्दू की योग्यता पर नजर डालें – मैं समझता हूं कि

यह सदैव, जो हमारे लिए अच्छा है उसे आत्मसात करने, ग्रहण करने और जो अच्छा नहीं है उसे अस्वीकार करने की हमारी क्षमता का प्रत्यक्षण है, उसकी अभिव्यक्ति है। मैंने जानबूझकर विदेश नीति पर इसके प्रभाव के बारे में नहीं बताया है। मैंने सांस्कृतिक, शैक्षिणक और प्रचार माध्यमों संबंधी नीति पर बात की है। परन्तु विशेषरूप से जब मैं विदेश नीति की बात करता हूं तो मैं महसूस करता हूं हमारी सभ्यता का इतिहास बताता है कि हमारी नीति ग्रहण करने की रही है। परन्तु साथ ही यही बात पूरे विश्व के संदर्भ में भी है। हमारी खुली नीति रही है चाहे मैं आज की बात करने अथवा पिछले वर्षों की बात करूं, विश्व की निगाहें हमेशा भारत पर रही हैं। भारत के लम्बे इतिहास के ऐसे किसी चरण का मुझे स्मरण नहीं है जब भारत ने संपूर्ण विश्व के दर्शन को ग्रहण न किया हो। जब अशोक का काल था तो वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने विश्व भर में भगवान बुद्ध के संदेश को पहुंचाया। यदि हम अपने समाज के किसी परिवर्तन के बारे में सोचते हैं तो हमने हमेशा अपने आपको विश्व और दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में देखा है। मैं इस बात पर बल देता हूं कि यद्यपि हमारा राष्ट्र-राज्य वास्तव में 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आया, हमारी भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है। राष्ट्रीय अवधारणा भी बहुत पुरानी है। हमारी विशेषताएं और दर्शन बहुत पुराने हैं और इसलिए हमने हमेशा विश्व से विचारों का आदान-प्रदान करने, आदर्श विचारों, धारणाओं और दर्शन को ग्रहण किया है। इस अवधारणा का बेजोड़ तथ्य यह है कि भारत ने हमेशा दोहरे तरीके का अनुसरण किया है—बाहर वालों को स्वीकार किया और यहां से बाहर जाने दिया। इसीलिए भारत ने हमेशा विश्व को कुछ दिया है तथा उससे प्राप्त किया है।

जब मैं खुसरो के बारे में और उससे भी आगे के बारे में सोचता हूं तो मैं हमेशा इस तरह से सोचता हूं कि भारत विश्व के लिए खुला तथा विश्व भारत के लिए खुला था। यही हमारी अवधारणाओं का आधार है। अपनी सभ्यता के 5000 वर्षों की अवधि में हम कभी भी किसी ऐसे युग तक सीमित नहीं रहे जब हमने इस प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न शब्द शैली का प्रयोग न किया हो कि हम विश्व में बाहर जाएं और बाहर से हमारे देश में आएं। मुख्यत: इसी कारण से भारतीय सभ्यता सशक्त हुई थी। हमारी भारतीय सभ्यता की दिलचस्प बात यह है कि इसमें अन्तर्निहित लचीलापन यह था जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं था उससे हमने इंकार कर दिया जो कुछ हमारे लिए अच्छा था हमने वह ग्रहण किया। लेकिन अपने इतिहास में हमने कभी भी दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आत्मसात करने और चुनौती की यह प्रक्रिया साथ-साथ चलती रही। हमें हमेशा इस बात का ज्ञान था कि कहां विरोध करना है और साथ-साथ हम यह भी जानते थे कि कहां किन परिस्थितियों से समझौता करना है।

नि:संदेह वह समय आज के मुकाबले में काफी भिन्न था। संचार प्रणाली भिन्न थी। लोगों को काफी दूर-दूर तक पैदल जाना पड़ता था और पत्र भी घोड़ों पर लादकर भेजे जाते थे। इसमें काफी समय लगता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप की ओर शेष विश्व का ध्यान बहुत अधिक हो गया। महाद्वीप के उत्तर में हम अधिकतर मध्य एशिया के भूभागों

के संपर्क में रहे हैं। यह सब हमने ऐतिहासिक तौर पर किया। हम समुद्र के उस ओर से होने वाले खतरों से अधिकतर अनभिज्ञ रहे पर इन विषयों से अनभिज्ञ नहीं थे।

मुझे एक घटना याद दिलाई गई है जब औरंगजेब का परिवार मक्का जाना चाहता था तो उसे सूरत में पुर्तगालियों से वीज़ा लेना पड़ा था। उसे यह ध्यान नहीं आया कि भारत के आस-पास का समुद्र भारतीय साम्राज्य का ही हिस्सा है। नहीं, उसे ऐसा ध्यान नहीं आया। इसी प्रकार, हम देखते हैं कि उत्तर का सैनिक बल भी समुद्रवर्ती नहीं है। जबकि दक्षिण इसके बिल्कुल विपरीत है। दक्षिण के सभी राज्य समुद्रों के प्रति अधिक जागरूक थे। उदाहरण के लिए, कालीकट में शताब्दी के बेहतरीन समय में वह पुर्तगालियों को खदेड़ देने में संभवत: इसीलिए सफल रहे क्योंकि उनके पास समुद्री बल था। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दक्षिण का संपर्क पूर्व से अधिक हुआ और बौद्ध धर्म का संदेश सुदूर प्रदेशों जैसे इंडोनेशिया, जापान व चीन तक गया।

वह समुद्र के प्रति सजग थे। परंतु इस के साथ ही वे थल सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं थे और यही कारण है कि दोनों पहलुओं को देखने व समझने में अजीब-सी दुविधा थी। उत्तर समुद्र के प्रति सचेत नहीं था और दक्षिण थल के प्रति सजग नहीं था। दोनों को अलग-अलग तरह से हानि हुई और ऐसे ही प्रभुसत्ता को भी क्षति पहुंची। मैं समझता हूं कि इस संकुचित दृष्टिकोण ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि आज समुद्र अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के आने से, वाष्प-चालित जहाजों के आने से तथा अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ, इस उप-महाद्वीप के लिए अंतत: यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि वह सामुद्रिक शक्ति को महत्व दे। परंतु इससे भी अधिक आवश्यक और मेरे विचार से हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम वर्तमान समय में अपने सैन्य तंत्र की ओर अधिक ध्यान दें। दुर्भाग्य से भारत को कभी इस तथ्य का बोध नहीं हुआ कि युद्ध केवल वीरता से ही नही लड़े जाते अपितु इसके लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि जब उत्तरीय और समुद्र पार की ताकतों ने यहां आना शुरू किया तो उनकी युद्ध मशीनें और युद्ध संबंधी प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध साधन से भिन्न थी। हम बहुत साहसी थे। परन्तु फिर भी हम हमेशा एक कदम पीछे रहे।

बाबर का आना पहला प्रमाण है और अंग्रेजों का आना दूसरा प्रमाण है। पुर्तगालियों का आना एक और प्रमाण था। अत: मैं अनुरोध कर रहा हूं कि यह सदन दृढ़ निश्चय करे और यह वचन दे कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। प्रौद्योगिकी में हम कभी पिछड़े नहीं रहेंगे। हमारी पराक्रमी सेनाओं, हमारे बहादुर बलों को नवनीतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाई जाएगी, जो भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमने यह ऐतिहासिक सबक लिया है और इतिहास के इस पाठ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी कारण यह आवश्यक है कि हम जहां भी जाएं इस बात का ध्यान रखें कि जब सांस्कृतिक स्तर पर हम अपने विचार खुले रख सकते हैं, जब हम अपनी सभ्यता का संदेश जन-जन तक फैला सकते हैं तो हमें सुरक्षा स्तर पर भी अपने विचार खुले रखने चाहिएं।

हमारी विदेश नीति को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि केवल वही विदेश नीतियां अंतत: सफल होती हैं जो सुरक्षा के प्रति सावधान व सतर्क रहती हैं और सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है। यह केवल अस्त्र-शस्त्र नहीं, यह आंतरिक स्थिरता भी है। यह भोजन की निश्चितता भी है और आपसी संबंधों में सुरक्षा भी है। यदि सेनाएं केवल आंतरिक लड़ाई - झगड़ों के निपटारे में ही फंसी रहेंगी तो हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। यदि हमारी आंतरिक शांति सुरक्षित नहीं होती, तो सुरक्षा क्षेत्र बहुत ही सुभेध हो जाती है। यदि हम आपस में ही लड़ते - झगड़ते रहेंगे तो हम प्रवेश पाने को तत्पर शक्तियों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन जाएंगे और इसी कारण सुरक्षा की व्यापक अवधारणा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात दोहराता हूं कि सुरक्षा की इस व्यापक अवधारणा की मुख्य विशेषताएं अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाना, हमेशा राष्ट्र की एकता बनाना और इस बात की ओर गौर करना है कि आंतरिक झगड़े इस हद तक न बढें कि सेना को देश के अंदर ही उलझना पड़े तथा इसके साथ ही आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक-सामाजिक न्याय पर भी गौर करना है। सामाजिक न्याय केवल सामाजिक न्याय का ही मामला नहीं है वरन् यह तो सुरक्षा का भी विषय है। सामाजिक दृष्टि से भेदभाव वाला कोई भी समाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। अत: यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम सामाजिक न्याय के विषय में बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह सुरक्षा से भी संबंधित है।

मेरी ही पीढ़ी के कुछ लोगों को याद होगा कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में हमने नेहरू जी द्वारा लिखित "**डिस्कवरी ऑफ इंडिया**" पढ़ी थी, जिसको उन्होंने बगैर किसी पाठ्य पुस्तक अथवा संदर्भ पुस्तक की सहायता के जेल की संकीर्ण कोठरियों में बैठकर लिखा था। वह हमें हमेशा दो चीजों का स्मरण कराते रहे। उन्होंने उस भारत का स्मरण कराया जो स्वत: ही शक्तिशाली था, उन्होंने उस भारत का स्मरण कराया जिसकी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी थीं। उन्होंने भारत में होने वाले उस परिवर्तन की याद दिलाई जिससे भारत गुजर रहा था उन्होंने उस भारत का स्मरण कराया, जिसके पास समय के साथ बदलने की क्षमता थी। अत: उपनिवेश काल आने पर ही यह समस्या अधिक कठिन हुई। भारत की सभ्यता और एकता पश्चिम से आने वाले विदेशी उपनिवेशी शासकों द्वारा भंग की गई थी और इसलिए पश्चिम के लोगों ने केवल हमारी सभ्यता और एकता को भंग करने का प्रयास ही नहीं किया अपितु यह तब तक जारी रहा जब तक हममें उनका विरोध करने का साहस नहीं जागा था। एक बार जो चुनौती सामने आई और एक बार तो गांधी जी ने हमारे दृढ़ निश्चय को जागृत किया हमने निरंतर उसका विरोध किया और इसी प्रकार से सामंजस्य तथा विरोध दोनों की प्रक्रिया चलती रही।

जब मैं राजा राम मोहन राय और टैगोर की बात करता हूं या सर सैयद अली की बात करता हूं तो देखता हूं कि इन सभी ने सामंजस्य व विरोध में एक न एक अध्याय जोड़ा है और इस प्रकार भारतीय संघर्ष ने एक नया रूप धारण किया है। जब मैं विशेषरूप से गांधी जी और टैगोर के विषय में सोचता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे जुड़वां थे। वे कई प्रकार से सर्वसम थे और मैं न तो यह उद्धृत करूंगा कि टैगोर ने क्या लिखा था और न ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। परंतु टैगोर का एक स्वप्न था और वह यह था कि

भारत का भविष्य संकीर्ण राष्ट्रीयवाद न हो। उन्होंने हमेशा मानवतावाद पर भारत के मानवतावादी संदेश पर बल दिया। दो दिन पहले मैं शांति निकेतन में बोल रहा था वहां श्री सोमनाथ चटर्जी भी मौजूद थे। शान्ति निकेतन में मैंने सबको टैगोर द्वारा लिखित विख्यात उपन्यास "घरे बोरे" का स्मरण दिलाया।

*** *** ***[1]

यह लिखकर उन्होंने हमें यह बात पुन: याद दिलाने की कोशिश की कि राष्ट्रीयता की लहर के चलते ही हमें विश्व को नहीं भूलना चाहिए और यही बात टैगोर ने कही थी। गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ होने वाले अपने **"एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ"** में एक नए आयाम की बात की। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि हम मध्य एशिया के प्रति अनभिज्ञ थे हम कुछ समुद्री भागों के प्रति अनभिज्ञ थे और ब्रिटिश, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसियों के आने पर हमें यूरोप के बारे में पता चला।

गांधी जी ने अंधकारग्रस्त दक्षिण अफ्रीका की भूमिका के संबंध में हमारे ज्ञान में एक नया आयाम जोड़ा। गांधी जी के आगमन से पहले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने एक अन्य स्थान पर कहा था कि भले ही भौतिक रूप से गांधी जी भारत में पैदा हुए थे परन्तु राजनीतिक रूप से उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इस प्रकार अब वह अफ्रीका की निराशाजनक असहाय संघर्षरत अंधकारमय स्थिति तथा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बीच एक नई कड़ी बन गए। यह सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी एक हिस्सा बन गया। गांधी जी और विशेषरूप से नेहरूजी ने हमारे रास्ते और खोल दिए। स्पेन के गृहयुद्ध के दौरान उस समय हम में से कुछ लोगों को यह बात अजीब-सी लगी जब उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व ही स्पेन गृह युद्ध के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। जब चीन में संघर्ष चल रहा था तो कोटनीस को भेजा गया। जब रूस के बारे में बात आई तो उन्होंने सोवियत संघ को सभ्यता में एक नए प्रयोग के रूप में चित्रित किया तथा इसे स्वयं देखा। यह प्रयोग सफल भी हो सकता था और विफल भी हो सकता था। यह एक बिल्कुल अलग मुद्दा था। परन्तु उन्होंने उसमें देखा कि सामाजिक न्याय को राजनैतिक अभिव्यक्ति कैसे प्रदान की जा सकती है तथा विश्व को हमारे निकट ला खड़ा किया। उन दोनों ने मिलकर विश्व को दो भागों–दमनकारी विश्व एवं उत्पीड़ित विश्व में विभक्त कर दिया। यहां हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दिन से ही हम उत्पीड़ितों के पक्षधर थे तथा स्वाभाविक रूप से उनके मित्र बने रहे। जब नाजीवाद का पदार्पण हुआ तब टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध कविता जो मैं समयाभाव के कारण यहां नहीं पढ़ पाऊंगा परन्तु इसमें टैगोर ने यह कहा कि जो भी जापान से आकर सहानुभूति का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जिनका दबाव चीन की सभ्यता में बढ़ता जा रहा है के संबंध में उनका विरोध है। गांधी और नेहरू का भी यही विचार था। इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के मूल उद्देश्यों और मूल दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया था।

मैं आपको पुन: याद दिलाऊं कि चूंकि आप 15 अगस्त से 15 दिनों बाद पैदा हुए थे अत: हमारा देश नाजीवाद, फासीवाद और सैन्यवाद के अवशेषों पर खड़ा हुआ और इसलिए शांतिप्रिय

ताकतों के साथ हमारा यह संबंध अद्‌भुत है। हमारे विधिवत् रूप से स्वतंत्र होने से पहले ही गांधीजी और नेहरू जी दोनों ने मिलकर प्रथम एशिया सम्मेलन बुलाया। वह संदेश क्या था? मूल संदेश यह था कि हम उनके पक्षधर हैं जो अभी तक भी उपनिवेश में हैं और अंतिम उपनिवेश संभवत: अंतिम से पहला जिसे आजादी मिली है वह शायद हांगकांग का हस्तांतरण है।

यहां के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हांगकांग के उस समारोह में भाग लेने के लिए चीनियों से निमंत्रण मिला था। साथ ही हमें अंग्रेजों से भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था। हमने चीन के निमंत्रण का उत्तर दिया। अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का तो अस्त ही हो रहा है अत: हमारी उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है।

हमारी सारी सहानुभूति हांगकांग में साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए थी। हांगकांग के साथ हमारा एक और संबंध भी है अंतत:, अफीम युद्ध भारत की धरती से ही लड़ा गया था। अफीम युद्ध किस लिए हुआ था वह जो आज नशीली दवाओं का विरोध करते हैं, वे भूल जाते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर युद्ध किया था कि ब्रिटिश भारत को चीन को अफीम पहुंचाने और निर्यात करने का अधिकार बरकरार रहे। वह एक युद्ध था और इसीलिए उन्होंने हांगकांग पर अधिकार कर लिया इसलिए हमें उन लोगों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति है और वे प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने अन्तत: इसे समाप्त कर दिया।

जैसा कि मैंने कहा, एशिया सम्मेलन उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संदेश था। इसी प्रकार हमारी विदेश नीति का जन्म हुआ। हमारी विदेश नीति, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि मेरे विद्वान साथी श्री पी.वी. नरसिंह राव ने भी स्वयं कहा है, किताबों में नहीं बनी थी। यह किसी पाठ्यपुस्तक से नहीं निकली थी, इसका उद्‌भव स्वतंत्रता संग्राम के अनुरूप हुआ इसलिए इससे हम तीन पाठ सीख पाए।

इसे विभिन्न चरणों में जिन लोगों ने बनाया उन्होंने तीन निदेश दिए। उनमें से पहला है कि स्वतंत्र रहो। भारतीय विदेश नीति को सभी चीजों से मुक्त रखो, हार न मानो और हमेशा अपना सिर ऊंचा रखो। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इन 50 वर्षों में ऐसा ही हुआ है। इस सरकार पर या इससे पहले की किसी भी सरकार पर पड़ने वाले कोई भी दबाव भारत को डराने में कभी सफल नहीं हुए। दूसरा संदेश था कि उत्पीड़ितों का हमेशा साथ दो। हमने उत्पीड़ितों का साथ दिया है। तीसरा संदेश था कि जहां भी तानाशाही हो, उसका हमेशा विरोध करो तथा हमेशा शांति के पक्षधर रहो। भारतीय इतिहास में कूटनीति का एक ही उद्देश्य रहा। वह उद्देश्य था कूटनीति द्वारा परिवर्तन न कि सौदेबाजी। सौदेबाजी नहीं थी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कभी सौदेबाजी नहीं थी।

इसने कभी लेन-देन का प्रयास नहीं किया। यहां हमने विचारों के बदलाव, विश्व संबंधों के बदलाव का भी समर्थन किया तथा सौदेबाजी का प्रयास कभी नहीं किया। हमारे आदर्श हमेशा से रहे हैं विचार ही हमारे स्रोत हैं परन्तु हमारे यहां आदर्श हमेशा ही संजोए गए हैं। अत: इसी पर हमने गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का निर्माण किया। गुटनिरपेक्षता ने हमें नए मित्र दिए, वे जो उपनिवेशिक अनुभव रखते थे, वे जो कठिन समय से गुजरे थे, वे जो रंगभेद

से पीड़ित थे और वे भी जो उस पक्ष से संबद्ध रहे। मैं खास तौर पर सोवियत संघ की ओर इशारा कर रहा हूं।

15 अगस्त, 1947 को प्रारंभ हुए नए दौर में हमने वही नीतियां जारी रखीं। हम इन मूल विचारों पर डटे रहे, चाहे यह वियतनाम हो, चाहे यह कोरिया हो, चाहे यह चीन हो अथवा दक्षिण अफ्रीका हो। मैं कई नाम गिना सकता हूं। बहुत से देश हैं। हर बार हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट रहा है। हमारा साहस ही हमारा सबसे अच्छा साथी रहा। हमने अलगाव को कभी बुरा नहीं माना क्योंकि अलगाव से इसका निर्णय नहीं होता है। कई बार हमने इसका मूल्य भी चुकाया है परन्तु साथ ही हमने कभी हार नहीं मानी। शीत युद्ध के कारण हमें अवश्य कठिनाई हुई। अत: हमें गलत भी समझा गया। परन्तु हमारे क्षेत्र में जो सबसे बुरी बात यह हुई कि यहां तनाव पैदा किया गया। तनाव अपने आप उत्पन्न नहीं हुए अपितु इस क्षेत्र में हथियारों और अन्य सभी चीजों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसा हमेशा से होता आ रहा है और इससे हमारे लिए लगातार कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। हम इस बात में विश्वास करते हैं और अपनी विदेश नीति के माध्यम से भी हमेशा ही इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि दक्षिण एशिया में एकता, मित्रता और सहयोग बना रहे और उस नीति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम भौगोलिक और व्यावहारिक रूप से विभाजित हो चुके हैं किंतु यह विभाजन ऐसा विभाजन है जो हमारी सामरिक सोच में परिवर्तन से और बढ़ा है। भारत की सामरिक सोच बाह्य रूप से थोपी गई विचारधाराओं से भिन्न थी।

मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा लेकिन मेरा यह मानना है कि शीत युद्ध की समाप्ति होने से हमारे समक्ष नई चुनौतियां और नए अवसर भी उभर कर सामने आए हैं। विश्व में अचानक शांति नहीं आई है। साथ ही वैश्वीकरण और क्षेत्रीयकरण दो भिन्न चीजें हैं जो एक साथ उभर कर सामने आई हैं। नि:संदेह, हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए लेकिन हमें अपने क्षेत्रीय पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यत: यह माना जाता है कि आगामी शताब्दी एशिया के देशों की शताब्दी होगी और वहीं से भारत के भविष्य का उदय होगा।

यहीं हमें अपनी भूमिका अदा करनी है। अत: भारतीय नीति की स्थिरता दक्षेस देशों से मित्रता और सहयोग के परिणामस्वरूप होगी। हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका से नए संबंध स्थापित करने में सफल हुए हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है तो मैं एक मिनट में उसका उल्लेख करना चाहूंगा। आसियान देश अब हमारे पड़ोसी हैं। म्यांमार के आसियान में शामिल होने से अब हम भू-सीमाओं से भी जुड़ गए हैं। अत: अब हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की शुरुआत इस क्षेत्र में करनी होगी। इसी तरह, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अब हमारे पड़ोसी हैं और हम उसके संस्थापक सदस्य हैं। तुर्कमेनिस्तान, भारत और ईरान के बीच त्रिपक्षीय संधि के फलस्वरूप अब हमें मध्य एशिया के साथ संबंध स्थापित करने का मौका मिला है जिसे हमें सुदृढ़ करना चाहिए।

अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोगपूर्ण दृढ़ संबंध स्थापित करने के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा ही पाकिस्तान के साथ आपसी विश्वास, मित्रता और सहयोग की भावना रखी है। विदेश सचिव स्तरीय वार्ता की शुरुआत इस दिशा में पहला

कदम है। जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं कि जून में इस्लामाबाद में हुई वार्ता की समाप्ति के पश्चात् एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। आगामी दौर की वार्ता सितम्बर में दिल्ली में होने वाली है और हमने इसके लिए पाकिस्तान को तारीखें भी सुझाई हैं। उनके उत्तर की हमें प्रतीक्षा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मैं न्यूयार्क जा रहे हैं और यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मुझे उनसे मिलकर प्रसन्नता, खुशी होगी। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विगत मई में माले में उनके साथ मेरी एक उपयोगी बैठक हुई थी।

मैं अपनी बात समाप्त करते-करते एक मिनट और लूंगा। संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप के देशों, जापान, चीन और रूस के साथ हमारे हमेशा सुचारू और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। यहां पर मैं मात्र यही कहना चाहता हूं कि अमरीका से हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है और आने वाले महीनों में वाशिंगटन से अनेक महत्वपूर्ण लोग भारत की यात्रा करने वाले हैं। जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं कि अमरीका के राष्ट्रपति भी आगामी वर्ष में भारत की यात्रा करने वाले हैं। मुझे न्यूयार्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के आगामी सत्र के दौरान राष्ट्रपति क्लिंटन से भेंट करने का भी अमरीका से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मैंने अमरीका के लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि भारत-पाकिस्तान संबंधों पर किसी भी प्रकार की मध्यस्थता कार्यसूची में शामिल नहीं होनी चाहिए जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, इसकी एकता और अखंडता के बारे में कोई वार्ता नहीं की जाएगी।

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच अनेक बातों पर चर्चा की जा सकती है और यदि वार्ता हुई तो मैं राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ मैत्रीपूर्ण और द्विपक्षीय समझौतों, विशेषकर एशिया-प्रशान्त क्षेत्र से संबंधित आम हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

यदि मुझे समय मिलता तो मैं विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखता। लेकिन मैं एक मुद्दा, जिसके बारे में मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। यह भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। अपने भाषण के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के समक्ष लोकपाल विधेयक के लाए जाने में हुए विलंब पर खेद प्रकट किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजनैतिक नेताओं को अपने सगे-संबंधियों सहित अपनी सम्पत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 13 सितम्बर, 1996 को लोक सभा में लोकपाल विधेयक लाया गया था। इस विधेयक को गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को सौंपा गया था जिसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। स्थायी समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। संसद के आगामी सत्र में समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक पुनरीक्षित विधेयक लाया जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह कानून हमारी अपनी शासन व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

श्री वाजपेयी ने एक समाचार का उल्लेख करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के 194 मामले मुकदमा चलाए जाने की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं।

वास्तविक स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी मामला लंबित नहीं है। परन्तु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष और राज्य सरकारों के पास 157 मामले लंबित हैं। इनमें से 141 मामले केन्द्रीय मंत्रियों के पास लंबित हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के एक कदम के रूप में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त सरकारी अधिकारियों को दंडित करने में तीव्रता लाए जाने का विशेष प्रयास किया गया है। भारत सरकार ऐसे मामलों की संख्या जो मार्च, 1997 के अंत तक 141 थी को कम करके अब वर्तमान में 79 तक ले आई है। भारत सरकार के सभी सचिवों को यह कड़े निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर-अंदर पिछले बकाया केसों का निपटान कर दें और सभी नए केसों के संबंध में निर्णय एक माह के अंदर ले लें। न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित जांच-पड़ताल और उसकी अनुवर्ती कार्यवाही के स्वरूप और प्रकार के बारे में भी वहां विचार प्रकट किए गए। सरकारी तंत्र में संस्थागत कार्य प्रणाली की स्थापना, वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए उपायों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। सरकार वर्तमान सतर्कता कार्यप्रणाली पर पुन: विचार करने और उसे द्रुतगामी बनाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे उपाय कर रही है। जिससे कि भ्रष्टाचार के केसों का निपटारा तीव्रता से एक निश्चित समयावधि में ही हो जाए। इसी संबंध में राज्यों के भ्रष्टाचार निरोधक विभागों के प्रमुखों तथा विभिन्न सरकारी उपक्रमों के सतर्कता अधिकारियों का एक सम्मेलन 4 और 5 सितम्बर को अर्थात् आज से ठीक दो दिन बाद होगा। इसके बाद मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन होगा।

सरकारी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने श्री एच. डी. शौरी की अध्यक्षता में "सूचना पाने का अधिकार" पर एक कार्यदल गठित किया है। हम चाहते हैं कि "सूचना पाने का अधिकार" पर एक विधेयक संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाए।

मैं चुनाव सुधारों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सदन का समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरा सदन सहमत है। मैं जल्दी ही सर्वदलीय बैठक में एक विधेयक प्रस्तुत करूंगा जिससे कि चुनाव सुधारों पर एक नई सहमति के साथ हम किसी परिणाम पर पहुंचें।

मैं और भी अन्य बहुत से विषयों पर चर्चा कर सकता हूं, किन्तु मैं जानता हूं कि समय की पाबंदी है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन्हें सदन के सभा पटल पर रख दूं।

*** *** ***[2]

मैं सहकारी संघवाद, योजना तथा उदारीकरण के संदर्भ में इसकी भूमिका खाद्य, सुरक्षा और पेयजल, शिक्षा, साक्षरता, जनसंख्या के मुद्दे पर बुनियादी ढांचे में नीतिगत पहल की योजना,

जैविक भिन्नता, पंचायती राज पर और सामाजिक न्याय आदि पर अपनी टिप्पणियां सदन के सभा पटल पर रख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि यह सदस्यों के लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि मैं सदन का और अधिक समय नहीं ले सकता।

मेरे आदरणीय मित्र ने एक मुद्दा उठाया है, कृपया पहले मुझे समाप्त करने दें और उसके बाद मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा।

मैं यह कहते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि इन चर्चाओं से सदन और देश को काफी लाभ मिला है। कृपया जो मैंने कहा, उसे मुझे दुबारा कहने दें तथा इसी के साथ जिस शानदार तरीके से यह चर्चा संपन्न हुई उसके लिए मैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करता हूं। यह एक अन्य तरीके से भी उद्‌भूत था। हम यहां पर हास्यात्मक उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं कर रहे थे और न ही हम वाद-विवाद कर रहे थे। हम सब अपनी-अपनी दृष्टि से भविष्य का अवलोकन करने का प्रयास कर रहे थे।

मैं समझता हूं कि यह देश के भविष्य की सामूहिक कल्पना है।

पश्च टिप्पण

VIII. देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव 1 सितम्बर, 1997

1. **कुछ माननीय सदस्य** : यह "घरे बाघरे" है।

   श्री इन्द्र कुमार गुजराल : खराब बंगाली उच्चारण के लिए मुझे क्षमा करें।

2. **अध्यक्ष महोदय** : कृपया ऐसा ही करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

   श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय क्या आप मुझे आधा मिनट देंगे।

   कुमारी उमा भारती (खजुराहो): महिला आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री ने नहीं बताया।

   श्री इन्द्र कुमार गुजराल: कृपया मुझे समाप्त करने दें।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी): महोदय, प्रधानमंत्री जी, जो कि विदेश मंत्री भी हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा भूल गए हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के बारे में बात करना वे भूल गए हैं। कांग्रेस दल में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री अमरीका जा रहे हैं और श्री क्लिंटन भी भारत आ रहे हैं।

कुमारी उमा भारती: प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण के बारे में तो बताइए।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। कृपया इस अवसर के महात्म्य को नष्ट मत कीजिए। प्रधानमंत्री के लिए प्रत्येक विषय पर चर्चा करना संभव नहीं है।